सूचना का
अधिकार

मार्च, 2025 में अद्यतन

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख

(उक्त धारा के अन्तर्गत कुल 17 मैनुअल तीन भागों में बनाए गए हैं, जिनमें से भाग–1 में मैनुअल संख्या–1 से 4, भाग–2 में मैनुअल संख्या–5 तथा भाग–3 में मैनुअल संख्या–6 से 17 तक रखे गए हैं।)

भाग–1,2 तथा 3

अर्थ एवं संख्या विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(I)

भाग–1

मैनुअल संख्या–1 से 4

अर्थ एवं संख्या विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

अनुक्रमणिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख(V)

उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के पत्र सं0–5152/उ0सू0आ0/2012 दिनॉक 02.01.2012 के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1)ख के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या विभाग के मार्च 2025 तक अद्यतन कुल 17 मैनुअल तैयार किये गये है,जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या से	पृष्ठ संख्या तक
1	2	3	4
	भाग–1		
1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	01	10
2	विभागीय ढॉचे में सृजित पदों का विवरण	11	11
3	विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण	12	12
4	विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं निदेशालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं की सूची	13	14
5	निदेशालय में समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 एवं अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित पासबुकों की सूची	15	16
6	वित्तीय वर्ष 2024–25 के बी0एम0–8 का विवरण	17	24
7	वित्तीय वर्ष 2024–25 का व्यय विवरण	25	25
	भाग–2		
8	वर्ष 2024–25 की जिला योजना संरचना से सम्बन्धित दिशा निर्देश	26	35
	भाग–3		
9	जनपद अल्मोड़ा के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	36	36
10	जनपद बागेश्वर के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	37	37
11	जनपद चम्पावत के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	38	38
12	जनपद नैनीताल के अधिकारियों/ कर्मचारियों की	39	39

	कुल प्राप्त परिलब्धियॉं		
13	जनपद उद्यमसिहंनगर के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	40	40
14	जनपद पिथौरागढ़ के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	41	41
15	कुमायूँ मण्डल,हल्द्वानी के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	42	42
16	जनपद उत्तरकाशी के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	43	43
17	जनपद चमोली के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	44	44
18	जनपद देहरादून के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	45	45
19	जनपद हरिद्वार के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	46	46
20	जनपद पौड़ी के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	47	47
21	जनपद टिहरी गढ़वाल के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	48	48
22	जनपद रूद्रप्रयाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	49	49
23	गढ़वाल मण्डल के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	50	50
24	20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिष्ठान के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धिय	51	51
25	अर्थ एवं संख्या निदेशालय अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉं	52	53
26	लोक राज्य सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारी के नाम पदनाम	54	57

अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(1)

भाग –1 (मैनुअल संख्या 1 से 4)

1– संगठन की विशिष्टियां :–

(क) अर्थ एवं संख्या विभाग :–उत्तराखण्ड राज्य के दिनांक 9.11.2000 को अस्तित्व में आने के उपरान्त विकास से संबंधित ऑकड़ों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण हेतु अर्थ एवं संख्या विभाग की उपादेयता एवं उपयुक्ता के दृष्टिकोण से विधान सभा के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश सं0 0054/6 वि–2001 दिनांक 06.04.2001 के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या विभाग को सम्मिलित करते हुए नियोजन विभाग का ढ़ॉचा स्वीकृत किया गया, जिसमें निदेशालय स्तर पर अपर निदेशक (अर्थ एवं संख्या) के साथ एक उप निदेशक तथा एक अर्थ एवं संख्याधिकारी का पद सृजित किया गया। मण्डल तथा जनपद स्तर के कार्मिक पूर्वानुसार ही रखे गये। निदेशालय स्तर पर अर्थ एवं संख्या विभाग का ढ़ॉचा उक्तानुसार सूक्ष्म रखा गया, क्योंकि तत्समय प्रलेखीकरण एवं विश्लेषण का कार्य वाह्य संस्था से कराये जाने का निर्णय लिया गया था। वाह्य संस्था से मात्र समन्वय स्थापित करने हेतु उक्त तीन पद यथेष्ठ थे, परन्तु व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था उपयुक्त सिद्ध नहीं हो पायी। अतः मंत्री परिषद उत्तरांचल ने अर्थ एवं संख्या निदेशालय के ढ़ाचे पर पुर्नविचार किया। तदोपरान्त शासनादेश सं0 221/नि0 अनु0 02–22 नि0वि0/ढ़ांचा/02 दिनांक 10.09.2002 तथा इसमें कतिपय संशोधनों के पश्चात शासनादेश संख्या 106/नि0अनु0/03–22/नि0वि0/ढ़ॉचा /02 दिनांक 28.04.2003 के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या विभाग का ढ़ॉचा निर्धारित किया गया।

उक्तानुसार विभाग के स्वीकृत ढांचें में समय–समय पर आवश्यकतानुसार सूक्ष्म परिवर्धन/संशोधन किये गये हैं। विवरण निम्नानुसार है :–

(1) शासनादेश संख्याः 38/XXVI–2/2006 दिनांकः 18.04.2006 के अन्तर्गत ढांचें में पूर्व स्वीकृत एक्स कैडर अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद को निरस्त करते हुये चीफ कार्टोग्राफर के पद का सृजन।

(2) शासनादेश संख्याः 111/XXVI/दो(13)/2006 दिनांकः 05.09.2008 के अन्तर्गत प्रोग्रामर के पद का सृजन किया गया।

(3) शासनादेश संख्याः 61/XXVI–दो(20)/2004 दिनांकः 04.03.2009 के अन्तर्गत विभाग के 63 अनुसचिवीय संवर्ग के पदों का पुर्नगठन किया गया था।

(4) शासनादेश संख्याः 226/XXVI–तीन(1)/2004 दिनांकः 28.10.2009 के अन्तर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम किग्रान्वयन विभाग में सृजित 15 पदों को अर्थ एवं संख्या विभाग के संरचनात्मक ढांचें में सम्मिलित किया गया।

(5) शासनादेश संख्याः 73/XXVI–दो(20)/2004 दिनांकः 10.08.2010 के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 67 पदों का पुर्नगठन किया गया। शासनादेश संख्याः 20/XXVI–दो(20)/2004 टी0सी0–1 दिनॉक 23 फरवरी 2017 द्वारा पुनः मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 67 पदों का पुर्नगठन किया गया।

(6) शासनादेश संख्याः 124/XXVI–दो(19)/2006 दिनांक 21.04.2015 के अन्तर्गत विभाग में संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) एवं उप निदेशक(कम्पयूटर) के एक–एक अस्थाई पद (मृत सवंर्ग) का सृजन किया गया।

(7) शासनादेश संख्याः 67/XXVI–दो(20)/2004 दिनांक 29.08.2019 के अन्तर्गत विभाग में अपर निदेशक का एक अतिरिक्त पद का सृजन किया गया, जिसे शासन के पत्र संख्या 1/103219/2023 दिनॉक 28 फरवरी 2024 द्वारा स्थायी किया गया है।

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान :–उत्तरांचल राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अनुश्रवण, समीक्षा तथा गुणवत्ता वृद्धि हेतु अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तर्गत पृथक से शासनादेश संख्याः 315/25–नि0अनु0/2003 दिनांक 11.09.2003 के अन्तर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर 15 पद अस्थाई रूप से स्वीकृत किये गए। उक्त अस्थाई पदों को शासनादेश संख्या 117/xxvi/दो(16)/2022 दिनॉक 25 जुलाई 2024 द्वारा स्थाई किया गया है। मण्डल तथा जिला स्तर पर पूर्वानुसार अर्थ एवं संख्या विभाग के कार्मिक ही तत्सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन कर रहे हैं।

2–अर्थ एवं संख्या विभाग के कर्तव्य :–सर्वेक्षणों के माध्यम से योजना संरचना के सुदृढ़ आधार के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रकार के आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा विश्लेषण, विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण तथा स्थलीय सत्यापन, प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, समीक्षा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं सांख्यिकीय के उपयोग कर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आंकडों की पूर्ति करना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रयोजन के लिए समय–समय पर विविध प्रकाशन भी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कर बजट सत्र में विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

3–अर्थ एवं संख्या विभाग के कृत्य :–

3.1 **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण** :–रा0प्र0स0 संगठन, भारत सरकार के साथ समन्वय रखते हुए विभाग द्वारा प्रतिदर्श इकाइयों में प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण कार्य कराया जाता है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का संकलन, परिनिरीक्षण तथा विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। भारत सरकार में रा0प्र0स0 संगठन द्वारा सर्वेक्षण के विषय को निर्धारित किया जाता है।

3.2 **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण** :– रा0प्र0स0 संगठन भारत सरकार से समन्वय रखते हुए केन्द्रीय सांख्यिकीय अधिनियम 1948 के अन्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत कारखानों में पूंजी विनियोग, रोजगार, मजदूरी, प्रयुक्त ईधन, कच्चा माल, उत्पाद एवं विनिर्माण द्वारा आवर्धित मूल्य आदि से सम्बन्धित आंकड़े संग्रह कराये जाते हैं। इस प्रकार संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। यह कार्य नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष कराया जाता है।

3.3 **उपभोक्ता भाव सूचकांक** :– राज्य में 13 जनपदों के 74 शहरों (ग्रामीण/नगरीय) से नियमित रूप से प्रतिमाह उपभोक्त वस्तुओं के भावों का संग्रहण कर प्रतिमाह उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया जाता है।

3.4 **भवन निर्माण संबंधी सामग्री के भाव** :– समस्त जनपद मुख्यालय स्थित नगरों से भवन निर्माण सम्बन्धी मुख्य–मुख्य वस्तुओं के भाव, भवन निर्माण संगठन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूची में त्रैमासिक रूप से संग्रह कराये जा रहे हैं।

3.5 मजदूरी की दरें :–

3.5.1 **लोक निर्माण विभाग से मजदूरी की दरों का एकत्रीकरण** :– प्रत्येक त्रैमासान्त की अन्तिम तिथि–यथा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर के अनुसार प्रत्येक

जनपद मुख्यालय में स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरों का संग्रहण कार्य किया जा रहा है ।

3.5.2 **स्थानीय निकायों का आय व्यय तथा पूंजी व्यय तथा रोजगार** :– राज्य के समस्त स्थानीय निकायों से वार्षिक रूप से आय–व्यय पूंजी–व्यय तथा रोजगार संबंधी आंकड़े संग्रह तथा संकलित कराये जा रहे हैं।

3.5.3 **स्थानीय निकायों के आय व्यय का आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण** :– प्रदेश के समस्त जिला पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका परिषद, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण, नगर पंचायत तथा विकास खण्ड एवं प्रत्येक विकास खण्ड की 10 प्रतिशत या अधिकतम 10 ग्राम सभाओं के आंकड़े वार्षिक रूप से जनपद स्तर पर संकलित करने के उपरान्त निदेशालय में राज्य स्तरीय सूचना संकलित की जा रही है

3.5.4 **स्वायत संस्थाओं के ऑकड़े** :– राज्य में गठित स्वायत संस्थाओं को प्रति वर्ष दिये जाने वाले बजट के आय–व्यय का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण उपरान्त उक्त ऑकड़ों को जी0एस0डी0पी0 के आधारवर्ष के निर्धारण में इनका उपयोग किये जाने हेतु केन्द्रीय सॉख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय अनुभाग को उपलब्ध कराये जाते है।

3.6 **राज्य आय अनुमान** :–केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार से दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड में राज्य के आय के अनुमान तैयार किये जा रहे है। जिसमें राज्य का सकल घरेलू उत्पाद तैयार किया जाता है तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार राज्य के आय के अनुमान तैयार किये जाते है।

3.7 **बजट विश्लेषण** :– प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा जारी होने वाले बजट में विभागवार विभिन्न मदों में आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का मदवार विश्लेषण किया जाता है। इस सूचना का उपयोग राज्य आय अनुमान हेतु भी किया जाता है।

3.8

3.9 **आर्थिक सर्वेक्षण** :– प्रति वर्ष राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कर विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

3.10 **उत्तरांखण्ड "ऐट ए ग्लांस"** :– प्रति वर्ष राज्य की भौगोलिक एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं की स्थिति का सूक्ष्म विवरण तैयार किया जाता है।

3.11 **सामुदायिक विकास कार्य** :– प्रत्येक माह नियमित रूप से ग्राम्य विकास कार्यकमों के महत्वपूर्ण मदों का विकास खण्ड, जनपद, एवं मण्डल स्तरीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर राज्य स्तरीय संकलन किया जाता है। विकास कार्यो से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रवाह में गति लाने के लिए एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचनाओं के मूल स्रोत अर्थात विकासखण्डों से विभिन्न स्तरों पर सम्प्रेषण की व्यवस्था की गयी है।

3.12 ग्रामवार आधारभूत आंकड़े :– 31 मार्च के अनुसार प्रदेश के समस्त ग्रामों से आधारभूत आंकड़ों का वार्षिक संग्रह विकासखण्ड तथा जनपद स्तर पर किया जाता है।

3.13 जिला विकेन्द्रीकृत योजनाः– प्रत्येक जनपद द्वारा जिला योजना तैयार कर अनुमोदित कराई जाती है तथा जिला योजना की नियमित मासिक प्रगति समीक्षा की जाती है।

3.14 विकास कार्यो के निरीक्षणः– विकास कार्यो की प्रगति तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यो के नार्म निर्धारित करते हुए प्रत्येक जनपद के अर्थ एवं संख्याधिकारी से निरीक्षण तथा प्राप्त विसंगतियों के निवारण हेतु संबंधित कर्मियों से अनुपालन सुनिश्चित कराये जा रहे हैं।

3.15 स0वि0अ0(सां0) द्वारा स्थलीय सत्यापनः–विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित विकास कार्यो की प्रगति का यथासम्भव सत्यापन विकास खण्ड में कार्यरत स0वि0अ0(सां0) द्वारा कराये जा रहे हैं।

3.16 रिक्त प्रपत्र तथा अनुसूचियों का मुद्रणः–क्षेत्रीय कार्यो में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के रिक्त प्रपत्र तथा अनुसूचियों का मुद्रण कराकर विभिन्न जनपदों को आवश्यकता के अनुसार वितरित किये जा रहे है।

3.17 शासन तथा विभिन्न विभागों की आवश्यकतानुसार समय–समय पर विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण कार्य किये जाते है।

3.18 आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालायेंः– विभिन्न विषयों पर आकड़ो की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैंः–

3.18.1 सांख्यिकीय पद्धतियों के उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला जिसमें विभिन्न विभागों को सम्मिलित किया जा रहा है।

3.18.2 राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण संबंधी राज्य स्तरीय तथा मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कराये जा रहे हैं।

3.18.3 राज्य स्तरीय विभागीय प्रावैधिक कार्यो का मुख्यालय पर प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जा रहा है।

3.18.4 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जा रहा है।

3.18.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर प्रशिक्षण कराया जाता है।

3.18.6 राज्य स्तर पर आर्थिक गणना के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कराया जाता है।

3.18.7 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य हेतु विभिन्न तकनीकी कार्यो पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।

3.19 प्रकाशन :–

3.19.1 प्रत्येक जनपद से सांख्यिकीय पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन।

3.19.2 प्रत्येक जनपद से सामाजार्थिक समीक्षा का वार्षिक प्रकाशन।

3.19.3 उत्तराखण्ड राज्य की सांख्यिकीय डायरी का वार्षिक प्रकाशन।

3.19.4 उत्तरांचल "ऐट ए ग्लांस" का वार्षिक प्रकाशन।

3.19.5 रा0प्र0स0 के सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त परिणामों का प्रकाशन।

3.19.6 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आधार पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का प्रकाशन।

3.19.7 आर्थिक गणना के आंकडों का प्रकाशन।

3.19.8 स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजीव्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं के विश्लेषण सम्बन्धी प्रकाशन।

3.19.9 राज्य आय अनुमान के आंकडों का प्रकाशन।

3.19.10 लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत राजकीय भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय दरों के विश्लेषण का प्रकाशन।

3.19.11 उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रतिमाह संग्रहित नगरीय फुटकर भावों के संकलन सम्बन्धी प्रकाशन।

3.19.12 आर्थिक सर्वेक्षण के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कराया जाता है। का प्रति वर्ष प्रकाशन ।

4–अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों की कार्य प्रणालीः–

4.1 विकास खण्डः– प्रत्येक विकास खण्ड में एक–एक सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकीय) का पद स्वीकृत है, जिसका मुख्य कार्य आधारभूत आंकडों का संग्रह, संकलन, सत्यापन तथा विभिन्न विकास कार्यो की प्रगति का रख–रखाव है। ग्रामीण मजदूरी की दरें, ग्रामीण फुटकर भाव, उपभोक्ता भाव सूचकांक, ग्रामवार आधारभूत आंकडें, ग्रामीण कार्यो की मासिक प्रगति तथा स्थलीय सत्यापन के प्रतिवेदन तैयार कर प्रत्येक माह जिले के अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना उसका मुख्य दायित्व है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य सांख्यिकीय कार्यो मे सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) का प्रमुख योगदान रहता है। आवश्यकता के अनुसार उसके द्वारा कतिपय विकास कार्य भी सम्पादित किये जाते है। विकास खण्ड स्तर पर उसके नियन्त्रक अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी है।

4.2 जनपद स्तरः–जनपद के सांख्यकीय कार्यों के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद मे एक पद अर्थ एवं संख्याधिकारी का सृजित किया गया है शासकीय कार्यों मे सुविधा के लिये अपर सॉख्यिकी अधिकारी, सहायक सॉख्यिकी अधिकारी, कार्टोग्राफिक असिस्टेंट, वरिष्ठ

प्रशासनिक अधिकारी / प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, ड्राइवर तथा चपरासी के पद भी सृजित किये गये है। अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा विभागीय कार्यो के साथ–साथ जिला योजना की संरचना, प्रगति का अनुश्रवण तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित मासिक अनुश्रवण का कार्य सम्पादित किये जाते है। अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में जनपद के विभिन्न विभागों तथा विकास खण्डों से प्राप्त आधारभूत सूचनाओं का संकलन कर मण्डल स्तर तथा राज्य स्तर तक उपलब्ध कराया जाता है।
जनपद में अर्थ एवं संख्याधिकारी के नियन्त्रक अधिकारी, जिलाधिकारी तथा मण्डल में संयुक्त निदेशक (अर्थ एवं संख्या) है।

4.3 <u>मण्डल स्तरः–</u> मण्डल के अन्तर्गत जनपदों के सांख्यिकीय कार्यो के सुचारु रुप से सम्पादन हेतु प्रत्येक मण्डल पर एक–एक संयुक्त निदेशक का पद स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त मण्डलीय कार्यालयों मे अर्थ एवं संख्याधिकारी के एक–एक पद भी सृजित है, उनकी सहायता के लिये अपर सॉख्यिकी अधिकारी, कार्टोग्राफिक असिस्टेंट, आशुलेखक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, ड्राइवर तथा चपरासी है।

जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन, परिनिरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा विश्लेषण का कार्य मण्डल कार्यालय में सम्पादित किया जाता है। तदोपरान्त आवश्यकता के अनुसार तैयार प्रतिवेदनों को निदेशालय में उपलब्ध करा दिया जाता है। मण्डल कार्यालय निदेशालय तथा जनपद के मध्य की एक महत्वपूर्ण कडी है।

4.4 <u>राज्य स्तर</u> :– राज्य स्तर पर सांख्यकीय कार्यो के सम्पादन हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय स्थापित है, जो कि निदेशक के नियन्त्रण तथा मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। निदेशालय में निदेशक के अतिरिक्त अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, अर्थ एवं संख्याधिकारी, चीफ कार्टोग्राफर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वैयक्तिक सहायक, अपर सॉख्यिकी अधिकारी, सहायक सॉख्यिकी अधिकारी, आशुलेखक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, ड्राइवर तथा चपरासी के पद भी स्वीकृत है। शासन द्वारा स्वीकृत अर्थ एवं संख्या विभाग के ढांचे के अनुसार बीस सूत्री कार्यकम कार्यान्वयन को निदेशालय के एक अंग के रुप में रखा गया है। कतिपय महत्वपूर्ण विभागों में भी विभागीय अधिकारी स्वीकृत है।

सांख्यिकीय एवं कार्यकम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश तथा राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण, सत्यापन तथा मूल्यांकन, अध्ययन के साथ–साथ राज्य/जिला आय अनुमान तैयार करना अर्थ एवं संख्या विभाग के

महत्वपूर्ण कार्यो में से है। जिला स्तर तथा मण्डल स्तर से प्राप्त सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण, प्रतिवेदन लेखन तथा प्रकाशन भी विभाग के नैत्यिक कार्य है।

4.5 बीस सूत्री कार्यकम :–

4-5.1 अनुश्रवण :– जनपद मण्डल तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक माह 20 सूत्री कार्यकम की प्रगति संकलित कर जनपदवार तथा विभागवार रैंकिग रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है।

4-5.2 समीक्षा :– जनपद तथा राज्य स्तर पर कमशः जनपद तथा शासन स्तरीय बैठकों का आयोजन कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

4-5.3 सत्यापन :–मा0 उपाध्यक्ष, बीस सूत्री द्वारा जनपद/ विकासखण्डों में भ्रमण कर योजनाओं का सत्यापन तथा बैठकें आयोजित कर विकास कार्यो के अवरोधों का स्थल पर ही यथा सम्भव निवारण कराये जा रहा है।

4-5.4 टास्कफोर्स :–विकास कार्यो की गुणवत्ता बढ़ाने, स्थलीय सत्यापन तथा फर्जी कार्यो को हतोत्साहित करने हेतु प्रत्येक मण्डल/जनपद/विकासखण्ड में टास्कफोर्स अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है।

4-5.5 समितियों का गठन :–बीस सूत्रीय कार्यकम के कियान्वयन में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जनपद तथा विकासखण्ड स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यकम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।

4-5.6 लाभार्थियों की सूची का प्रकाशन :–बीस सूत्रीय कार्यकम एक समयबद्ध कार्यकम है इसलिए प्रत्येक माह विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रगति के अनुसार पूर्ण विवरण के साथ लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराना तथा प्रकाशन कराया जाना अनिवार्य है। नियमानुसार प्रत्येक विभाग द्वारा प्रकाशित लाभार्थियों की सूची विकासखण्ड, जनपद, मण्डल तथा राज्य स्तर पर कमशः विकासखण्ड कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय, मण्डलीय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या के कार्यालय तथा संयुक्त निदेशक, बीस सूत्रीय कार्यकम के कार्यालय में व्यवस्थित रखी जाएगी। सम्बन्धित विभाग का उत्तरदायित्व है कि जनप्रतिनिधियों/जनसाधारण की आवश्यकतानुसार उक्त सूचियां उपलब्ध करायें। उपयोग कर्ताओं को लाभार्थियों की सूचियों में कोई शंका होने पर उनका समाधान संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/अर्थ एवं संख्याधिकारी/संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या/संयुक्त निदेशक, बीस सूत्रीय कार्यकम से कराया जा सकता है।

अर्थ एवं संख्या विभाग के कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक (Norms set by it for the discharge of its functions)

1–सहायक सॉख्यिकी अधिकारी

(1) प्रत्येक माह कम से कम दो राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण की इकाईयों का सर्वेक्षण करना।
(2) प्रत्येक माह नगरीय फुटकर भाव, नगरीय अमानी मजदूरी की दरें तथा कर्मचारी संगणना की सूचना का संग्रह।
(3) प्रत्येक माह ग्रामीण फुटकर भाव, ग्रामीण मजदूरी की दरों तथा नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक का संकलन।
(4) प्रत्येक त्रैमास में भवन निर्माण संबंधी वस्तुओं के त्रैमासिक भाव तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी की दरों का संग्रह।

2– अपर सॉख्यिकी अधिकारी:–

(1) प्रत्येक माह कम से कम 5 ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना।
(2) प्रत्येक माह ग्रामीण फुटकर भाव तथा ग्रामीण मजदूरी की दरों एवं कर्मचारी संगणना संबंधी सूचना का संग्रह।
(3) ग्रामवार आधारभूत ऑकड़े का संग्रह, संकलन तथा परिनिरीक्षण।
(4) माह में कम से कम 5 विकास कार्यो का स्थलीय सत्यापन।
(5) प्रत्येक माह ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की संख्यात्मक तथा वर्णात्मक डायरी तथा विभिन्न सहायक विकास अधिकारियों से विकास कार्यो की मासिक प्रगति तैयार करना।
(6) प्रत्येक माह रा0प्र0स0 की सर्वेक्षित समस्त इकाईयों का निरीक्षण, भरी गई अनुसूचियों का परिनिरीक्षण।
(7) विकासखण्डों से प्राप्त ग्राम विकास कार्यो की मासिक प्रगति का परिनिरीक्षण तथा सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (सां0) से त्रुटियों का निराकरण तथा संकलन कराना।
(8) प्रत्येक माह 20 सूत्री कार्यक्रम तथा जिला योजना की मासिक प्रगति संकलित करना।
(9) बीस सूत्री, जिला योजना सम्बन्धी कार्य तथा सहवर्गीय बैठकों संबंधी कार्य।

3–कार्टोग्राफिक सहायक (मृत संवर्ग):–

विकास कार्यो की जिला स्तरीय तथा विकासखण्ड स्तरीय ग्राफ/चार्ट तथा नक्शें तैयार करना।

4–अर्थ एवं संख्याधिकारी :–

(1) प्रत्येक माह कम से कम दो विकासखण्डों का निरीक्षण करना।
(2) प्रत्येक माह रा0प्र0स0 सर्वेक्षण का निरीक्षण/परिनिरीक्षण तथा आवश्कतानुसार पोस्ट निरीक्षण करना।
(3) भाव तथा दरों का समय–समय पर निरीक्षण।
(4) अधीनस्थ स्टाफ के वेतन, भत्ते तथा अन्य देयकों का आहरण तथा वितरण।
(5) वर्ष में कम से कम दो बार अपने कार्यालय का निरीक्षण।

5–उप निदेशक :–

(1) प्रत्येक माह अपने मण्डल से संबंधित कम से कम एक अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय तथा विकासखण्ड कार्यालय का निरीक्षण करना।
(2) राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण, भाव तथा दरों का कम से कम एक निरीक्षण।
(3) प्रत्येक तीन माह में अर्थ एवं संख्याधिकारी की बैठक संचालित करना जिसमें विभागीय प्रावैधिक, लेखा तथा स्थापना कार्यों की समीक्षा करना।

6–संयुक्त निदेशक :–

आवंटित अनुभाग के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व संयुक्त निदेशक को है जिसके लिए अलग से कोई विशेष मापमान निर्धारित नहीं है।

7–अपर निदेशक :–

विभाग के समस्त कार्यों के लिए निदेशक के सहयोगी होने के कारण इस पद के लिए भी कोई मापमान निर्धारित नहीं है।

8–निदेशक :–

विभागाध्यक्ष होने के कारण निदेशक को प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार प्रदान किये गए हैं जिनका उपयोग विभाग को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु किया जाता है इसलिए निदेशक पद हेतु कोई मापमान निर्धारित नहीं है।

9–अनुसचिवीय/चालक/चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के समस्त पदधारक :–

अन्य विभागों की भॉति अर्थ एवं संख्या विभाग के अनुसचिवीय पदधारकों को सामान्यतः नैत्यिक प्रकृति के समस्त कार्य को ससमय सम्पन्न करने होते हैं जिसके लिए विशिष्ट मापमान निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

अर्थ एवं संख्या विभाग,उत्तराखण्ड की संरचना के अनुसार स्वीकृत पदों का विवरण (माह मार्च 2025 की स्थिति)

क्र0 सं0	अधिष्ठान का नाम	निदेशक	अपर निदेशक	संयुक्त निदेशक	उप निदे0	अर्थ एवं संख्या0	शोध अधि0	चीफ काट्रो0	मुख्य प्रशा0 अधि0	वरि0 प्रशा0 अधि0	निजी सचिव	अपर सॉ0 अधि0	काट्रो0 असि0	सहा0 सॉ0 अधि0	सहा0 वि0 अधि0	सहा0 शोध अधि0	वैय0 अधि0	वरि0 वैय0 सहा0	व्यै0 सहा0	प्रशा0 अधि0	प्रधान सहा0	वरि0 सहा0	कनि0 सहा0	चालक	अनुसेवक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	निदेशालय	1	2	2	9	14	–	1	4	1	–	20	–	2	–	–	1	2		4	1	3	5	1	9	82
2	उत्तरकाशी	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	6	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	21
3	चमोली	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	9	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	24
4	टिहरी	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	9	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	24
5	देहरादून	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	6	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	21
6	पौड़ी	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	15	–	–	–	–	1		1	1	1	3	30
7	रूद्रप्रयाग	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	2	3	–	–	–	–	–	1	1	1		2	14
8	हरिद्वार	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	5	1	2	6	–	–	–	–	–	0	1	1	1	3	22
9	गढ़वाल मण्डल	–	–	1		1	–	–	–	–	–	2	–	0		–	–	–	1	1	–	1	1	1	2	11
10	अल्मोड़ा	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	11	–	–	–	–	1	–	1	1	1	3	26
11	बागेश्वर	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	2	3	–	–	–	–	–	1	1	1	0	2	14
12	नैनीताल	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	6	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	23
13	उधमसिंह नगर	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	5	1	2	7	–	–	–	–	–		1	1	1	3	23
14	पिथौरागढ़	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5		2	8	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	23
15	चम्पावत	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3		2	4	–	–	–	–	–	1	1	1	0	2	15
16	कुमायूँ मण्डल	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	2	1	0	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	12
17	समाज कल्याण	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
18	कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
19	बीज सूची	–	–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	2	1	2	13
	योग :–	1	2	5	9	30	2	1	4	5	1	84	3	28	95	2	1	2	2	7	10	19	22	14	51	400

अर्थ एवं संख्या विभाग के विभागीय ढॉचे में सृजित पद (मार्च 2025)

क्रमांक	सृजित पदों का पदनाम	वेतन मैट्रिक	लेवल	विकास खण्ड स्तर	जिला स्तर	मण्डल स्तर	बीस सूत्री कार्यक्रम	मुख्यालय स्तर	अन्य विभागों	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	निदेशक	₹ 131100-216600	Level13A	—	—	—	—	1	—	1	
2	अपर निदेशक	₹ 123100-215900	Level 13	—	—	—	—	2	—	2	
3	संयुक्त निदेशक	₹ 78800-209200	Level 12	—	—	2	1	2	—	5	
5	उप निदेशक	₹ 67700-208700	Level 11	—	—	—	—	9	—	9	
6	चीफ कार्टोग्राफर	₹ 56100-177500	Level 10	—	—	—	—	1		1	मृतसंवर्ग
7	अर्थ एवं संख्याधिकारी /शोध अधिकारी	₹ 56100-177500	Level 10		13	2	2	14	1	32	
8	मुख्य प्रशा0अधिकारी	₹ 56100-177500	Level 10	—	—	—	—	4		4	
9	वरिष्ठ प्रशा0अधिकारी	₹ 47600-151100	Level 8	—	2	1	1	1		5	
10	अपर सांख्यि0अधि0	₹ 44900-142400	Level 7	—	59	4	—	20	1	84	
11	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 44900-142400	Level 7	—	—	1	—	4	—	5	
12	वैयक्तिक अधिकारी	₹ 44900-142400	Level 7	—	—	—	—	1	—	1	
13	निजी सचिव	₹ 35400-112400	Level 6	—	—	—	1		—	1	
14	सहा0सांख्यि0अधि0 / सहा0शोध अधिकारी	₹ 35400-112400	Level 6	95	26		2	2	—	125	
15	कार्टोग्राफिक असि0	₹ 35400-112400	Level 6	—	2	—	1	—	—	3	मृतसंवर्ग
16	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	₹ 35400-112400	Level 6	—	—	—	—	2	—	2	
17	प्रधान सहायक	₹ 35400-112400	Level 6	—	10	—	—	2	—	12	
18	वरिष्ठ सहायक	₹ 29200-92300	Level 5	—	13	2	1	3	—	19	
19	वैयक्तिक सहायक	₹ 29200-92300	Level 5	—	—	—	2	—	—	2	
20	कनिष्ठ सहायक	₹ 21700-69100	Level 3	—	13	2	2	5	—	22	
21	वाहन चालक	₹ 21700-69100	Level 3	—	10	2	1	1	—	14	
22	अनुसेवक	₹ 18000-56900	Level 1	—	36	4	2	9	—	51	मृतसंवर्ग
23	डाटा एन्ट्री आपरेटर	Out Source के माध्यम से		—	—	—	—	—	—		
	कुल स्वीकृत पद			95	184	20	16	83	2	400	

टिप्पणी :– क0सं0–13 निजी सचिव का पद विभागीय मूल ढॉचे में सम्मिलित नहीं है।

निदेशालय में उपस्थित समस्त अधिकारियों एंव कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की सूची

क0सं0	नाम(श्री / सुश्री)	पदनाम	कुल संख्या
1	पंकज नैथानी	अपर निदेशक	2
2	डा0 मनोज कुमार पंत	अपर निदेशक	2
3	चित्रा	संयुक्त निदेशक	2
5	डा0 दिनेश चन्द्र बडोनी	संयुक्त निदेशक	1
6	मनीष राणा	उप निदेशक	1
7	अमित पुनेठा	उप निदेशक	1
8	डा0इला पन्त विष्ट	उप निदेशक	1
9	रश्मि हलधर	उप निदेशक	1
10	निर्मल कुमार शाह	उप निदेशक	1
11	ललित चन्द्र आर्य	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
12	ज्योति जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
13	राजेश कुमार	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
14	ललित मोहन	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
15	संजय शर्मा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
16	गोपाल गुप्ता	अर्थ एवं संख्याधिकारी	2
17	श्वेतांक प्रताप सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
18	अतुल आनन्द	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
19	डा0 मोनिका श्रीवास्तव	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
20	लखमी चन्द	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
21	सी0एल0 ध्यानी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	2
22	बी0सी0 काण्डपाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1
23	भावना बिष्ट	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1
24	जगदीश चन्द्र	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	2
25	दीपक काण्डपाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1
26	अशोक कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	1
27	राजेन्द्र सिंह	अपर सांख्यिकी अधि0	1
28	शालू भटनागर	अपर सांख्यिकी अधि0	1
29	रितु नेगी	अपर सांख्यिकी अधि0	1
30	मान सिहं कुँवर	अपर सांख्यिकी अधि0	1
31	जयपाल सिहं	अपर सांख्यिकी अधि0	1
32	आलोक कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	1
33	योगेन्द्र सिंह रोथाण	अपर सांख्यिकी अधि0	1
34	रितेश शर्मा	अपर सांख्यिकी अधि0	1
35	संदीप पाण्डेय	अपर सांख्यिकी अधि0	1

क0सं0	नाम(श्री / सुश्री)	पदनाम	कुल संख्या
36	सुन्दर सिंह	अपर सांख्यिकी अधि0	1
37	रितेश कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	2
38	सीमा धिवान	अपर सांख्यिकी अधि0	1
39	सुरेश नौटियाल	अपर सांख्यिकी अधि0	1
40	वृजेश कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	1
41	मनोज कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	1
42	धीरेन्द्र प्रताप सिहं	अपर सांख्यिकी अधि0	1
43	अरविन्द कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	1
44	बिनीता	प्रशासनिक अधिकारी	1
45	आलोक मैठाणी	प्रशासनिक अधिकारी	1
46	बीर सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	1
47	अतुल कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	1
48	सुलोचना रतूड़ी	वैयक्तिक अधिकारी	1
49	विकान्त कुमार	व्यैक्तिक सहायक	1
50	दीप्ति डडवाल	प्रधान सहायक	1
51	राहुल कुमार रवि	वरिष्ठ सहायक	2
52	सुरेन्द्र पोखरियाल	वरिष्ठ सहायक	2
53	रमन बमराड़ा	कनिष्ठ सहायक	1
54	कपिल चौहान	कनिष्ठ सहायक	1
55	भूपदेव प्रसाद	कनिष्ठ सहायक	1

निदेशालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एंव कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 पासबुक की सूची

क0सं0	नाम(श्री/सुश्री)	पदनाम	जी0पी0एफ0 लेखा सं0	कुल संख्या
1	सुशील कुमार	निदेशक	GAU/72649	2
2	पंकज नैथानी	अपर निदेशक	GAU/74402	1
3	डा0 मनोज कुमार पंत	अपर निदेशक	GAU/73393	1
4	चित्रा	संयुक्त निदेशक	GAUA/84240	1
5	निर्मल कुमार शाह	उप निदेशक	CPU/57468	1
6	ललित चन्द्र आर्य	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110040973380	1
7	ज्योति जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/76225	1
8	राजेश कुमार	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAUA/84560	1
9	ललित मोहन	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/48724	1
10	संजय शर्मा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/82686	1
11	गोपाल गुप्ता	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/58943	1
12	श्वेतांक प्रताप सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/82156	1
13	अतुल आनन्द	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/83143	2
14	डॉ0 मोनिका श्रीवास्तव	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/81681	1
15	लखमी चन्द	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/57197	1
16	सी0एल0 ध्यानी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/68182	1
17	बी0सी0 काण्डपाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/68109	2
18	भावना बिष्ट	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/75737	2
19	जगदीश चन्द्र	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/79564	2
20	दीपक काण्डपाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	GAU/80165	1
21	अशोक कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	CPU/57582	1
22	राजेन्द्र सिंह	अपर सांख्यिकी अधि0	CPU/58009	1
23	शालू भटनागर	अपर सांख्यिकी अधि0	GAU/84701	1
24	रितु नेगी	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84703	1
25	मान सिहं कुँवर	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/80643	1
26	जयपाल सिहं	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84647	1
27	आलोक कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84639	1
28	योगेन्द्र सिंह रोथाण	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84635	1
29	रितेश शर्मा	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84637	1
30	संदीप पाण्डेय	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84638	1
31	सुन्दर सिंह	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84634	1
32	रितेश कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84642	1
33	सीमा धिवान	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/80640	1
34	सुरेश नौटियाल	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84704	1

35	वृजेश कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84645	1
36	मनोज कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84641	1
37	धीरेन्द्र प्रताप सिहं	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84636	1
38	अरविन्द कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84702	1
39	बिनीता	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/81148	1
40	आलोक मैठाणी	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/81149	1
41	बीर सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/80427	1
42	अतुल कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/81603	1
43	राहुल कुमार रवि	वरिष्ठ सहायक	GAUA/84281	2

पासबुक की सूची

क्र0 सं0	नाम श्री/सुश्री	पदनाम	खाता/PRAN संख्या
1	डा0 दिनेश चन्द्र बडोनी	संयुक्त निदेशक	110000973382
2	रश्मि हलधर	उप निदेशक	111002097338
3	अमित पुनेठा	उप निदेशक	110080967
4	मनीष राणा	उप निदेशक	111001225928
5	डा0 इला पन्त बिश्ट	उप निदेशक	110040967207
6	सुलोचना रतूड़ी	वैयक्तिक अधिकारी	110003797514
7	विक्रान्त कुमार	व्यैक्तिक सहायक	1100016104530
8	दीप्ति डडवाल	प्रधान सहायक	110040985075
9	सुरेन्द्र पोखरियाल	वरिष्ठ सहायक	110020968388
10	रमन बमराड़ा	कनिष्ठ सहायक	110135319170
11	कपिल चौहान	कनिष्ठ सहायक	110143952917
12	भूपदेव प्रसाद	कनिष्ठ सहायक	110260855122

(19)

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2025]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी — 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी — 03-अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान

00--

3	4	5	4	0	2	1	1	2	0	3	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	12,28,75,035	12,28,75,035	36,12,003	12,28,75,035	100%	-	
02-मजदूरी	3,73,600	3,73,600	59,800	3,73,600	100%	-	
03-महंगाई भत्ता	6,42,28,200	6,42,28,200	18,94,504	6,42,28,200	100%	-	
04-यात्रा व्यय	14,69,478	14,69,478	3,68,080	14,69,478	100%	-	
06-अन्य भत्ते	1,09,55,631	1,09,55,631	3,24,724	1,09,55,631	100%	-	
07-मानदेय	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	-	
08-पारिश्रमिक	2,07,26,473	2,07,26,473	30,38,092	2,07,26,473	100%	-	
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-	0%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	9,10,112	9,10,112	4,86,778	9,10,112	100%	-	
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	99,450	99,450	-	99,450	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	15,13,924	15,13,924	8,93,233	15,13,924	100%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,17,432	10,17,432	4,01,254	10,17,432	100%	-	
22-कार्यालय व्यय	17,17,071	17,17,071	7,22,188	17,17,071	100%	-	
23-किराया, उपशुल्क एवं	8,18,912	8,18,912	1,85,266	8,18,912	100%	-	

कर स्वामित्व							
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	22,62,754	22,62,754	11,39,899	22,62,754	100%	-	
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	12,14,867	12,14,867	2,27,033	12,14,867	100%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	17,94,287	17,94,287	15,40,816	17,94,287	100%	-	
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	34,40,631	34,40,631	13,97,557	34,40,631	100%	-	
28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	48,01,935	48,01,935	-	48,01,935	100%	-	
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	69,99,455	69,99,455	7,79,573	69,99,455	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	6,86,839	6,86,839	5,30,739	6,86,839	100%	-	
42-अन्य विभागीय व्यय	85,475	85,475	10,500	85,475	100%	-	
51-अनुरक्षण	-	-	-	-	0%	-	
कुल योग	**24,80,41,061**	**24,80,41,061**	**1,76,61,539**	**24,80,41,061**		-	

19

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2025]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
800-अन्य व्यय
00-एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान

02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
03-एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान

3	4	5	4	0	2	8	0	0	0	3	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	4,93,058	4,93,058	4,52,353	4,93,058	100%	-	
कुल योग	**4,93,058**	**4,93,058**	**4,52,353**	**4,93,058**		**-**	

20

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2025]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी — 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

800-अन्य व्यय — 05-जी0आई0एस0 प्रकोष्ठ एवं जिओं पोर्टल की स्थापना

00---

3	4	5	4	0	2	8	0	0	0	5	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
02-मजदूरी	-	-	-	-	0%	-	
08-पारिश्रमिक	69,91,647	69,91,647	6,66,424	69,91,647	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	0%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	-	-		-	0%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	-	-	-	-	0%	-	
22-कार्यालय व्यय	-	-	-	-	0%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	-	-	-	-	0%	-	
कुल योग	**69,91,647**	**69,91,647**	**6,66,424**	**69,91,647**		**-**	

21

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2025]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी
00--

02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
04-बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान

3	4	5	4	0	2	1	1	2	0	4	0	0

भानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	49,02,589	49,02,589	55,000	49,02,589	100%	-	
02-मजदूरी	63,875	63,875	4,900	63,875	100%	-	
03-महंगाई भत्ता	25,72,216	25,72,216	29,150	25,72,216	100%	-	
04-यात्रा व्यय	53,510	53,510	29,753	53,510	100%	-	
06-अन्य भत्ते	4,45,690	4,45,690	184	4,45,690	100%	-	
07-मानदेय	7,46,250	7,46,250	64,250	7,46,250	100%	-	
08-पारिश्रमिक	21,90,716	21,90,716	1,23,174	21,90,716	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	86,943	86,943	72,356	86,943	100%	-	
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	1,71,400	1,71,400	88,000	1,71,400	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	1,41,550	1,41,550	28,201	1,41,550	100%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,84,574	2,84,574	54,074	2,84,574	100%	-	
22-कार्यालय व्यय	1,94,256	1,94,256	63,834	1,94,256	100%	-	
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	4,99,568	4,99,568	1,07,501	4,99,568	100%	-	

21

24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	99,852	99,852	99,852	99,852	100%	-	
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	1,00,144	1,00,144	20,097	1,00,144	100%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	3,77,016	3,77,016	1,25,599	3,77,016	100%	-	
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	49,449	49,449	-	49,449	100%	-	
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	12,93,616	12,93,616	56,367	12,93,616	100%	-	
30-आतिथ्य व्यय	17,380	17,380	1,070	17,380	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	93,525	93,525	31,225	93,525	100%	-	
42-अन्य विभागीय व्यय	-	-	-	-	0%	-	
51-अनुरक्षण	-	-	-	-	0%	-	
कुल योग	**1,43,84,119**	**1,43,84,119**	**10,54,587**	**1,43,84,119**		-	

(23) (22)

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2025]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी — 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी — 05-राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली

00--

3	4	5	4	0	2	1	1	2	0	5	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	-	-	-	-	0%	-	
कुल योग	-	-	-	-		-	

(23)
(24)

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2025]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी
00--

02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
06-सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य

3 4 5 4 0 2 1 1 2 0 6 0 0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	19,35,413	19,35,413	19,06,895	19,35,413	100%	-	
कुल योग	**19,35,413**	**19,35,413**	**19,06,895**	**19,35,413**		-	

अर्थ एवं संख्या निदेशालय (अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान) का व्यय विवरण
वर्ष 2024–25 माहः–31 मार्च, 2025 तक के बजट की स्थिति

(हजार रू0 में)

क्र0सं0	मद	अनुमोदित परिव्यय	शासन से प्राप्त	अवमुक्त धनराशि	31 मार्च, 2025 तक व्यय	शासन से प्राप्त के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	–						
1-	अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान	307983.94	307983.94	246906.85	248041.06	**80.54**	–
2-	एन0आई0सी0	500.00	500.00	500.00	493.06	**98.61**	–
3-	जी0आई0एस0	8256.00	8256.00	7233.40	6991.65	**84.69**	
4-	20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	17567.00	17567.00	17567.00	14384.12	**81.88**	
5-	राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली	500.00	500.00	500.00	0.00	**0.00**	
6-	सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य	2000.00	2000.00	1935.41	1935.41	**96.77**	
	योगः–	**336806.94**	**336806.94**	**274642.66**	**271845.30**	**80.71**	

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(I)

भाग–2

मैनुअल संख्या–5

अर्थ एवं संख्या विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

1/203469/2024

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

प्राथमिकता/समयबद्ध

अर्द्धशा0 पत्र सं0–501/168/वा.जि.यो./रा.यो.आ./2016–17

देहरादून दिनांक 03 अप्रैल, 2024

रा0यो0आ0, नियोजन विभाग।

महोदय/महोदया,

राज्य के नियोजित विकास एवं विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के सिद्धान्तों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधित) अध्यादेश 2020 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 की जिला योजना संरचना का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप में पूर्ण किया जाना है। जनपद स्तर पर जिला योजना संरचना का कार्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होने के दृष्टिगत जिला योजना संरचना के कार्यों को विशेष महत्ता प्रदान करते हुए जिले की आवश्यकताओं/प्रतिबद्धताओं का गहन परीक्षण कर जिला योजना तैयार की जाय।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 की जिला योजना हेतु ₹ 1000.02 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गई है। उक्त धनराशि का एस.सी.एस.पी एवं टी.एस.पी. मदों सहित जनपदवार फ़ॉट परिशिष्ट–I में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जिला योजना संरचना हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(1) जनपदों के विकास हेतु जिला योजनाओं का समय से कियान्वयन होना आवश्यक है। कुछ विभाग यथा–वन, कृषि, उद्यान, लोक निर्माण विभाग आदि की योजनायें सामयिक (seasonal) होने के दृष्टिगत योजनाओं का समय से अनुमोदन न होने के कारण ऐसी योजनायें पूर्ण नहीं हो पाती है, जिससे जनपद के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक जनपद द्वारा जिला नियोजन समिति (डी0पी0सी0) की बैठक में जिला योजना का अनुमोदन कर अनुमोदित जिला योजना माह अप्रैल, 2024 तक अनिवार्य रूप से नियोजन विभाग, राज्य योजना आयोग को उपलब्ध करा दी जाय।

(2) जिला योजना संरचना में ₹ 3.00 लाख की कुल लागत से कम की योजनाओं को जिला योजना में सम्मिलित न किया जाय।

(3) जिला योजना में ऐसी योजनाओं/कार्यों का ही चयन किया जाय जिन कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष या अधिकतम 02 वर्ष में पूर्ण किया जा सके ।

(4) अवशेष/चालू कार्यों हेतु सर्वप्रथम धनराशि इस प्रकार आवंटित की जाय, ताकि उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण हो जाय।

(5) पुराने चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने के उपरान्त ही ₹ 3.00 लाख से अधिक की धनराशि के नये कार्य चयनित किये जायें।

(6) नये कार्यों हेतु सम्पूर्ण धनराशि का प्राविधान वर्ष 2024–25 की कार्य योजना में ही किया जाय। यदि किसी कारण यह संभव न हो तो कुल लागत की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व अवशेष धनराशि आगामी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से प्रस्तावित की जाय।

(7) जिला योजना संरचना में जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र की योजनाओं का समानुपातिक रूप से चयन किया जाय। किसी क्षेत्र विशेष हेतु अधिकतम योजनाओं का चयन न किया जाय। यदि किसी कारण से किसी विशेष क्षेत्र हेतु अधिकतम योजनाओं का चयन किया जाता है तो उनका कारण सहित उल्लेख किया जाय।

(27)

(8) जिला योजना के अन्तर्गत निर्मित योजनाओं के रख–रखाव हेतु धनराशि का प्राविधान करते समय मितव्यवता का ध्यान रखा जाये व पूँजीगत निर्माण कार्यों हेतु यथासम्भव अधिक धनराशि का प्राविधान रखा जाये।

(9) स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु उद्यान, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, आदि विभागों तथा आजीविका से सम्बन्धित कार्यों के प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाय। इस हेतु अन्य केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं से Convergence तथा Cluster approach को बढ़ावा दिया जाय। स्वरोजगार से सम्बन्धित योजनाओं में कम से कम 15% धनराशि के प्रस्तावों को जिला योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाय।

(10) जिला योजना में ऐसी योजनायें/कार्यक्रमों को प्रायः न रखा जाय जो राज्य योजना/केन्द्र पोषित योजना में संचालित/वित्त पोषित हों ताकि समानान्तर योजनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो। यदि केन्द्रीय/राज्य सेक्टर योजनाओं में लक्ष्य कम होने की स्थिति में यथावश्यक जिला योजना से अतिरिक्त Target हेतु funding की जाती है तो ऐसी योजनाओं में सब्सिडी का अंश Regular योजनाओं के अनुरूप ही रखा जाय।

(11) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिला योजना में मानदेय भुगतान के मदों हेतु नितान्त आवश्यक धनराशि का प्राविधान ही किया जायें।

उत्तराखण्ड क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप चालू योजनाओं की महत्ता, योजना के स्थानीय लाभ, रोजगार सृजन की सम्भावनायें, उत्पादकता तथा अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं का परीक्षण, जिला योजना समिति द्वारा इस दृष्टिकोण से अवश्य कर लिया जाय कि ऐसी योजनायें/कार्यों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी रखे जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं। योजनाओं के गहन परीक्षणोपरान्त अनावश्यक/अनुपयुक्त योजनायें जिनकी उपादेयता अब क्षेत्र के लिये आवश्यक नहीं रह गयी है, जीरो बेस बजटिंग के सिद्धान्त के आधार पर समीक्षा करके यथा आवश्यकता उन्हें समाप्त किया जाये। विभिन्न समरूपी योजनाओं का युक्ति संगतीकरण
(Rationalization) करके योजनाओं को प्रोजेक्ट रूप में समयबद्ध पूर्ण करने हेतु जिला योजनाओं में रखा जाय।

जिला योजना के लिये निर्धारित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विभागवार Write Up निम्न को सम्मिलित करते हुये नियोजन विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय।

1. सेक्टर/कार्ययोजना की संकल्पना (Vision) उद्देश्य एवं लक्ष्य तथा आउटकम ।
2. अभिनव पहल (New Initiatives)
3. नई/चालू योजनाओं का योजनावार औचित्य सहित संक्षिप्त विवरण
4. जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की सम्भावित पूर्ति का विवरण

उपरोक्त विवरण के साथ ही निम्न चार नक्शों को भी तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायः पहले नक्शे में जिले की मूल भौतिक रेखायें स्पष्ट दिखायी जाये। इसमें कन्टूर (Contour) द्वारा ऊँचाई, वर्षा, नदियाँ, वन क्षेत्र, मिट्टी की प्रधान किश्में, भूमिगत जल की उपलब्धता, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, पानी के भराव (Water Logging) क्षेत्र, कटान ग्रस्त (Ravines) क्षेत्र दिखाये जायें।

दूसरे नक्शे में फसल पद्धति (Cropping Pattern) दिया जाय। विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल भी इंगित कर दिया जाय। इसी नक्शे में औद्योगिक केन्द्र, प्रमुख उद्योगों के स्थल, आदि भी प्रदर्शित किये जाये।

तीसरे नक्शे में संचार प्रणाली, सड़क एवं विद्युत वितरण लाइनों के केन्द्र दर्शाया जाय। विद्युत वितरण में स्पष्ट रूप से 133 के०वी०, 66 के०वी०, 33 के०वी० एवं यथा संभव 11 के०वी० का अंकन किया जाय। प्रमुख सड़कों को राष्ट्रीय राजकीय एवं जिला मार्गों के रूप में प्रदर्शित किया जाय। सिंचाई प्रणाली में नहरों एवं गूलों की लम्बाई/क्षमता भी यथा सम्भव दी जाय।

चतुर्थ नक्शे में प्रशासनिक केन्द्रों तहसील एंव विकास खण्डों को दिखाया जाय। साथ ही निम्न विवरण को भी दर्शाया जाय।

1. 1000 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव
2. 500 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव
3. नगर निगम / नगर पालिकायें
4. स्वास्थ्य सुविधायें
5. शिक्षण संस्थायें
6. पशु चिकित्सा सुविधायें
7. कृषि सेवा केन्द्र
8. बीज, उर्वरक एवं कीट नाशक वितरण केन्द्र
9. बैंकिंग एवं ऋण सुविधा केन्द्र
10. पेयजल सुविधा
11. कलस्टरों का विवरण

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधित) अध्यादेश 2020 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 की जिला योजना संरचना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर लिया जाय तथा नियमानुसार अनुमोदित जिला योजना को संलग्न निर्धारित प्रारूप सं0–1 से 8 में हार्ड कापी में राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न यथोपरि।

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 04-04-2024 13:07:15

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

पृ० सं०– ५०\ /168/वा.जि.यो./रा.यो.आ./2016–17 तददिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त निजी सचिव, मा० प्रभारी मंत्रीगण, जिला योजना समितियों को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने विभागाध्यक्षों/जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिला योजना संरचना के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश भेजने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को इस आशय से प्रेषित कि जिला योजना 2024–25 हेतु जनपदवार SCSP/ TSP के लिए निर्धारित फॉंट के क्रम में विस्तृत मार्ग निर्देश समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव, मा० नियोजन मंत्री को मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. अपर निदेशक (प्रभारी), राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
10. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड ।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

जिला योजना वर्ष 2024–25 की संरचना हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

जिला स्तर पर जिला योजना की संरचना के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न कार्यक्रमों के लिये जिला सेक्टर परिव्यय के निर्धारण का है। विभिन्न कार्यक्रमों को किस सीमा तक परिव्यय उपलब्ध कराया जाय यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों हेतु विभागीय अधिकारियों का यह प्रयास रहता है कि उनके कार्यक्रमों के लिये जिला सेक्टर परिव्यय का अधिक से अधिक भाग उपलब्ध हो। विभागीय अधिकारियों का सामान्यतः यह प्रयास स्वाभाविक है, कि विभागीय कार्यक्रमों के संचालन एवं विस्तार का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। सामान्यतः जिलास्तर पर सीमित संसाधनों को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर परिव्यय का विभाजन संतुलित दृष्टिकोण के अभाव में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं होती है। राज्य स्तर पर प्राप्त जिला योजनाओं में विसंगतियां इंगित करते हुए उनमें संशोधन कर दिया जाता है। **अतः यह आवश्यक है कि विभागों द्वारा अपने विभागीय कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत निर्देश जिला योजना संरचना का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जारी किया जाना चाहिये।**

जिला योजना संरचना हेतु उपलब्ध परिव्यय में से जनपद की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकम में विभिन्न विभागों की योजनाओं/कार्यकमों हेतु परिव्यय उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्राथमिकता/कोटिकम निर्धारित किया गया है।

1. चालू कार्यकमों/परियोजनाओं के लिए आगामी वर्ष का अनुमानित व्यय ।
2. चालू कार्यकमों/योजनाओं में अपरिहार्य विस्तार तथा उन पर होने वाला व्यय ।
3. केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं अथवा ऐसी अन्य योजनाओं हेतु राज्यांश ।
4. नये कार्यकम/योजनाये तथा उन पर अनुमानित व्यय ।

उक्त के अतिरिक्त उन कार्यकमों/परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी है जिनसे अन्तर्विकास खण्ड स्तर पर असंतुलन समाप्त हो सके। योजना की संरचना में स्थानीय लोगों के सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ–साथ स्थानीय अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के सहयोग से जिला योजना का निर्माण किया जाय। पर्वतीय क्षेत्र की समस्याये अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ भिन्न हैं । प्रस्तावित योजना को निम्न मूलभूत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नीति सिद्वान्तों के आलोक में बनाने का हरसम्भव प्रयास किया जायः–

(i) कार्यकमों के कियान्वयन से संवृद्वि के साथ–साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो। विकास के प्रस्तावित कार्यकमों द्वारा रोजगार एवं विकास के अवसर, विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गो के लिए, उपलब्ध हो सके।

(ii) जनपद के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग हो ,जिससे आय तथा स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार एवं रोजगार दोनों में वृद्वि हो सके।

(iii) भूमि, पशुधन, लघु उद्योगों की उत्पादकता की वृद्वि हो सके। इस प्रकार के विकास से जो लाभ सम्भावित हो उसका अधिकांश भाग समाज के दलित वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक तथा ग्रामीण उद्य मियों को मिले ।

(iv) राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यक कार्यकमों जिसमें – प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य एंव पेयजल, ग्रामीण सड़के, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास, पर्यावरण सुधार की अधिकाधिक पूर्ति हो सके ।

(v) ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण किया जाय जिनसे उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हो सके ।

(vi) अवस्थित अवस्थापनाओं /संस्थाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाय, जिनसे निर्धनों के हितों की रक्षा हो सके ।

(vii) रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाय जिनसे भूमिहीन, छोटे कृषकों, दलित वर्ग, ग्रामीण उद्यमियों आदि को लाभ प्राप्त हो सके ।

(viii) योजनाओं का चयन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण स्थानीय अधिकारियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सकिय सहयोग से किया जाय।

(1) संसाधनों का उपयोगः–

जिला योजना समिति द्वारा योजना बनाते समय संसाधनों के उपयोग की प्रभावी कुशलता एवं समानता पर बल दिया जायेगा एवं विभिन्न विकल्पों का परीक्षण कर निवेश बहुत ध्यान पूर्वक किया जायेगा। वर्तमान में स्थानीय निकायों को ज्यादा संसाधन प्राप्त हो रहे है, फिर भी स्थानीय विकास की सभी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, स्थानीय रूप से भी अतिरिक्त संसाधन जुटाना वांछनीय है। विकास परियोजनाओं आदि में स्थानीय लोगों से व्यक्तिगत और सामुदायिक भागीदारी के रूप में अंशदान किया जा सकता है ।

1. सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को यथा सम्भव सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये, भूमिहीन परिवारों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
2. नगर पालिकायें एवं नगर निगम उन विस्तृत नगर नियोजन योजनाओं को प्राथमिकता दें जो पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है, एवं अपूर्ण है। वे स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन तथा गंदी बस्ती विकास आदि पर विशेष जोर दिया जाय ।
3. वर्तमान परिसम्पत्तियों के पुनर्वास को प्राथमिकता तथा उनका श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन परिसम्पत्तियों में बाजार, स्कूल, अस्पताल, जल आपूर्ति व्यवस्था, लघु सिचाई प्राणालियां आदि सम्मिलित की जा सकती है ।
4. पारम्परिक लघु कुटीर उद्योगों के उन्नयन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए लगाये जाने वाले लघु उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जाय। जिला पंचायतों और बडी नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससें निजी निवेश भी प्रोत्साहित हो विशेषकर रोजगार सृजन में ।

(2) **जिला योजना के अन्तर्गत विभागों की भूमिकाः–**

- जनपदों की विकास योजना संरचना के समय विभागीय विकास योजनाओं को जिला योजना में शामिल कराने के संबंध में विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- योजनाओं का चयन करते समय यह अपेक्षा की जाती है कि ग्राम पंचायत विकास योजना/क्षेत्र पंचायत विकास योजना/जिला पंचायत विकास योजना में चयनित/सम्मिलित योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाय।
- समस्त विभागों द्वारा निर्माण से संबंधित योजनाओं को जिला योजना समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु रखे जाने से पूर्व समस्त योजनाओं की आवश्यकता, स्थल चयन में किसी प्रकार का विवाद न होने विषयक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- जिला सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजनाओं को किसी भी अन्य सेक्टर की अन्य मद में प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
- जिला योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण संबंधी योजनाओं में प्रथम किश्त का बजट आंवटन संबंधी पत्रावली में निर्माण प्रारम्भ होने से पूर्व की फोटो तथा अन्तिम किस्त जारी करने के समय निर्माण समाप्त होने के पश्चात् की फोटो अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिये।
- निर्माण कार्यों के आगणनों की तकनीकी जॉच जनपद स्तर पर गठित तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) से अनिवार्य रूप से करायी जाय।
- द्वितीय किश्त जारी होने की स्थिति में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- चालू योजनाओं में धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व टास्कफोर्स/तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति से सत्यापन अवश्य करा लिया जाय।
- जिन योजनाओं की उपादेयता के संबंध में किसी जनपद विशेष को सन्देह है, उन्हें संतुष्ट करने और नई योजनाओं के लिये समुचित प्राविधान किये जाने हेतु विभागों द्वारा पहल की जाय।

- योजनाओं का सम्पादन एवं उन पर किये जाने वाला व्यय सार्थक सिद्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस संबंध में विभागों के जनपद/मण्डल और राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा समन्वित भूमिका अदा की जायेगी।
- विभागीय योजनाओं के संबंध में उनकी आवश्यकता, मानक, वचनबद्ध व्यय, केन्द्रांश, स्थल चयन, आगणन आदि के संबंध में विस्तृत मार्गनिर्देश विभागों द्वारा यथा आवश्यकता पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
- विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में नियमित रूप से प्रतिवेदन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जिला योजना समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु समिति के सचिव/संयुक्त सचिव को उपलब्ध कराया जायेगा।
- जिला स्तर पर भी विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का आंकलन करके उसके अधिकतम उपयोग तथा नियमित अनुश्रवण किया जाना चाहिये।

(3) **अप्रयुक्त परिसम्पत्तियों का उपयोगः–** जनपदों में सृजित परिसम्पत्तियों का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाये तथा विभागों से इनके उपयोग का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय ताकि निर्मित परिसम्पित्तियों का लाभ जनसामान्य को सुलभ हो सके।

(4) **अधूरे कार्यों/चालू योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकताः–** विगत वर्षों में अनुमोदित योजनाओं में पर्याप्त धनराशि आवंटित होने के बावजूद भी अधिकाश निर्माण कार्य अधूरे रह जाते है, जिससे योजना का लाभ लक्षित वर्ग को नहीं मिल पाता है। ऐसे सभी निर्माण संबंधी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि अधूरे कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु वरीयता निर्धारित की जाय, अर्थात पहले उन योजनाओं को पूर्ण किया जाय जिन पर 80 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है, तदोपरान्त 50 प्रतिशत इसके पश्चात 25 प्रतिशत से अधिक कार्य वाली परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु जिला योजना में सम्मिलित किया जाय। लोक निर्माण विभाग, जल निगम एवं सिचाई विभाग (नलकूप सहित) जैसे विभागों को राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजना से भी धनराशि प्राप्त होती रहती है इसलिए उक्त विभागों की अपेक्षा अन्य विभागों को जिला योजना में प्राथमिकता दी जाय। नवीन योजनाओं हेतु कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था चालू वर्ष में कर ली जाय। अर्थात टोकन मनी के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति प्रदान न की जाय।

(5) **प्राकृतिक जल स्रोतों का संवर्धन एवं वर्षा जल का उपयोगः–** राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के स्राव में निरन्तर हो रही कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि जल के कुशल प्रबन्धन एवं मितव्ययी उपयोग के साथ–साथ जल स्रोतो के जल ग्रहण क्षेत्रों (Catchment area) में संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाय। अतः यह आवश्यक है प्रस्तावित योजनाओं में जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को भी अनिवार्य रूप से प्रस्तावित किया जाय। प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना एवं कृषकों की आय दुगनी करना, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अतः जल की निरन्तर बढ़ रही मॉग को देखते हुए वर्षा जल के दोहन एवं उपयोग की नितान्त आवश्यकता है। समस्त विकास कार्यों में वर्षा जल का भण्डारण एवं उपयोग के साथ–साथ वर्षा जल को छत के माध्यम से एकत्रित कर उसको अघरेलू कार्यों हेतु उपयोग किया जाय। उद्यान विभाग/जल संरक्षण के कार्यों को मनरेगा/नरेगा से डबटेंलिग किया जाय।

(6) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिला योजनान्तर्गत सामान्य, एस0सी0एस0पी0 हेतु 19 प्रतिशत एवं टी0एस0पी0 हेतु 03 प्रतिशत मदों में बजट प्राविधान किया जाता है। एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 मदों में उन्ही श्रेणी के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था है अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था नहीं है। यदि एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 मद की कोई योजना जिसमे लाभार्थी संतृप्त (Saturation) हो चुके हो तो विभाग क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य कोई लाभार्थीपरख योजना उन्ही मदों **(S.C.S.P, T.S.P)** में जिला योजना समिति **(D.P.C)** से अनुमोदित करा सकता है जिससे अखिल जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के कुल निर्धारित व्यय में परिवर्तन न हो।

(7) **अन्तर्विभागीय समन्वय की आवश्यकताः–** जल संस्थान, लघु सिंचाई, वन एवं पर्यावरण आदि विभागों में मरम्मत की योजनाओं पर धनराशि आवंटित करने से पहले निर्माण वर्ष एवं मरम्मत की

पुनरावृत्तियों को आवश्यक रूप से संज्ञान में लाया जाय। जहां आवश्यक हो, यथासम्भव अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर समन्वित रूप से प्रस्ताव बनायें जायें ताकि कार्यों की अधिव्याप्ति (Overlapping) न हो। यथा–कृषि, उद्यान, सिचाई, लघु सिचाई, पशुपालन/चारा बैंक, दुग्ध एवं मत्स्य विकास, ग्राम्य विकास/पंचायतीराज आदि विभागों के कार्यक्रमों में Integrated Cluster Approach से अधिक लाभ मिल सकेगा। इस हेतु **Integrated Information Development System** तैयार किया जाय। प्रत्येक विकास खण्ड में एक गांव का **Micro Integrated Plan** तैयार कर प्रस्ताव दिये जाय।

(8) **अन्तर्विकासखण्डीय संकेतकों का प्रयोगः**– नियोजन की अवधारणा के अनुरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पिछडे/असेवित क्षेत्रों/बार्डर ऐरिया ब्लाकों को विकास कार्यक्रमों से प्रथमतः आच्छादित किया जाय। अतः अवस्थापना से संबंधित विभाग योजना प्रस्ताव तैयार करने में विकासखण्ड स्तरीय संकेतांकों के आधार पर क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास अवश्य करें ताकि संतुलित विकास की अवधारणा साकार हो सके। प्रत्येक ब्लॉक में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (**SECC Survey**) के आधार पर वंचित (**deprived**) जनसंख्या का भी इसके लिये संज्ञान लिया जाय।

(9) **अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजनः**– रोजगार पूरक योजनायें यथा–मत्स्य पालन, कुक्कट पालन, पशुपालन, डेरी, उद्योग, फलोत्पादन, शहतूत, वृक्षारोपण एवं अन्य स्थान विशेष के लिये उपयोगी रोजगार पूरक योजनाओं को जिला योजना में सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया जाय। जनपद में संचालित नवप्रवर्तन एवं उपलब्ध संसाधनों के विदोहन के आधार पर योजनायें तैयार की जाय ताकि जनपदों से पलायन को रोका जा सकें। **पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पलायन प्रभावित ग्रामों में ऐसी योजनायें रखी जाय जो पलायन रोकने में सहायक हो सके।**

(10) **पूर्वगामी एवं पश्चगामी अन्तर्सम्बन्धन (Forward & Backward Linkages)** :– विशेषकर उत्पादन से जुडे हुए विभागों के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन बढाने/गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन से संबंधित समस्त पहलुओं पूर्वगामी एवं पश्चगामी अन्तर्सम्बन्धन पर सम्यक विचार कर लिया जाय। उदाहराणर्थ–फलों के उत्पादन बढाने हेतु फल, पौधों, कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं वित्त पोषण, रख–रखाव प्रशिक्षण आदि पूर्वगामी पहलुओं तथा फल उत्पादन के उपरान्त विपणन, शीत भण्डारण, पैंकिग, प्रसंस्करण इत्यादि पश्चगामी पहलुओं/प्रभावों पर पूर्व में ही विश्लेषण कर लिया जाय। इस हेतु Cluster Approach को प्राथमिकता दी जाय, जिससे उत्पादित सामग्री का विक्रय/लाभार्जन सुचारू रूप से सम्पादित हो सके ।

(11) **विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं से डबटेलिंग के आधार पर वित्त पोषणः**– विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन करने के साथ युगपतीकरण एवं केन्द्राभिसरण (Dovetailing and Convergence) किया जाय। इससे राज्य संसाधनों पर व्यय भार कम हो सकेगा। इस संबंध में अन्तर्विभागीय संसाधनों से समन्वय आवश्यक है। योजना प्रस्तावों में इन कार्यक्रमों की गत 05 वर्षों की वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों के आधार पर कार्य योजना तैयार कर जी जाय।

(12) **जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर किये जा रहे नवोन्मेशी/नवाचार** (Innovation) कार्यक्रमों को लिया जाना आवश्यक है, इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार/नवप्रवर्तन कार्यक्रमों को पायलेट के रूप में संचालित किया गया है, जो अत्यन्त सफल भी रहें है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न जनपदों के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में E- Learning/IT आधारित शिक्षा के प्रयोग, एक गॉव एक खेत (One Village One Farm) जिसके अन्तर्गत एक ही गॉव में Virtual Consolidation (आपसी सहमति से अस्थायी चकबन्दी) के आधार पर एकीकृत कृषि विकास जिसमें सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बेमौसमी सब्जी (पॉली हॉउस) मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन मशरूम उत्पादन आदि शामिल है तथा बालिकाओं के विद्यालयों में सैनेट्री नैपकिन, वैण्डिग मशीन, सैनेट्री नैपकिन निर्माण आदि इको पर्यटन, विभिन्न प्रजाति के मशरूम उत्पादन गैनोंडर्मा मशरूम तथा गुच्छी मशरूम पर्यावरण संरक्षण के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा के लिए कृषि हेतु उपयोग में लाये जाने वाले हलों में लकडी के स्थान पर लोहे के हल के निर्माण एवं उपयोग किये जा सकते है।

(13) जिला सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं को अन्य सेक्टर में कदापि न रखा जाय जिला सेक्टर के अन्तर्गत योजनाओं/मदों की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अन्य सेक्टर (राज्य/केन्द्र एवं वाह्य सहायतित) में योजनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो।

(14) विद्यालय/आंगनवाडी में उपलब्ध संसाधनों एवं संस्था की आवश्यकता के गैप को **मध्यनजर** रखते हुये उक्त विभागों हेतु बजट प्रावधान किया जाय।

(15) **सफल अभिनव परियोजनायें (Successful Innovative Projects)** के अन्तर्गत **Wellness Center** का विकास, आयुष विकास कौशल कार्यक्रम रोजगार परक योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय।

(16) विभिन्न **लाभार्थीपरक योजनाओं** एवं स्वरोजगार योजनाओं हेतु बजट आवंटन प्राथमिकता में किया जाय। तथा स्वरोजगार की सम्भावना वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण, क्षमता विकास आदि कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान कर लिया जाय।

(17) आर्थिक विकास से संबंधित विभाग जैसे पशुपालन, दुग्ध, कृषि, उद्यान, मत्स्य, सहकारिता, रेशम, जडी–बूटी इत्यादि विभागों में प्रभावी समन्वय हेतु **Gap Funding** कर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाय।

(18) जिला योजना के सदस्य सचिव, मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि जिला योजना की धनराशि में **Parking of Fund** न हो। इस हेतु कार्य प्रारम्भ होने की दशा में ही स्वीकृत धनराशि संबंधित को अवमुक्त की जाय।

(19) निर्माण संबंधी कार्यों हेतु नियोजन विभाग के पूर्व शासनादेश सं0 624/जि0यो0आ/मु0स0/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप निर्माण कार्यों की जांच **TAC एवं Third Party Inspection** द्वारा अवश्य करायी जाय। यथा आवश्यकता इस हेतु धनराशि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

(20) जिला योजना के सभी अस्थाई/स्थाई निर्माण कार्यों का **नियमित अनुश्रवण** किया जाय। इस हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला स्तर के विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य तीन विभागों के अधिकारियों के दल द्वारा जिला योजना समिति से स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर निम्न तीन सदस्यीय दल द्वारा **सत्यापन/मूल्यांकन** किया जाय।

I. अध्यक्ष– संबंधित विभाग का उच्चाधिकारी
II. सदस्य– अन्य विभाग का उच्चाधिकारी (जिलाधिकारी की अनुमति से)
III. सदस्य– अन्य विभाग का तकनीकी उच्चाधिकारी (जिलाधिकारी की अनुमति से)

उक्त दल द्वारा कार्यस्थल की निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला योजना समिति, को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्यों की स्वीकृत धनराशि को दो भागों में संबंधित कार्यों हेतु आंवटित किया जाय, साथ ही उक्त समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्धारित/स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में निर्धारित गुणवत्ता सहित पूर्ण हों। स्वीकृत कार्यों के प्रस्तावित योजना अनुरूप सम्पादन एवं गुणवत्तायुक्त होने का उत्तरदायित्व संबंधित समिति का होगा।

(21) **वर्तमान में प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों** के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का कार्य जिला स्तर पर भी किया जा रहा हैं। उक्त के क्रम में गत वर्ष जिला स्तर पर एस0डी0जी0की कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश शासन स्तर से प्रेषित किये गये थे। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2022–23 तक जिलावार एस0डी0जी0 सूचकांक एवं रैकिंग तैयार की गयी है, जो **www.cppgg.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है। उक्त Index के आधार पर जिन संकेतकों/कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, उनमें प्रगति लाने हेतु जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि का प्रावधान कर लिया जाय।

(22) जिला योजना के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों के आउटकम का आंकलन किया जाना भी आवश्यक है। अतः जिला योजनाओं का आउटकम आधारित अनुश्रवण किया जाय।

(23) निर्माण से संबंधित समस्त योजनाओं की **Geo Tagging** अवश्य करा ली जाय तथा कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् **Geo Tagging** करना सुनिश्चित किया जाय, ताकि एक ही योजना की बार–बार पुनरावृति न होने पाये।

(24) जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की मरम्मत संबंधी योजनाओं को स्वीकृत करने से पूर्व उक्त कार्यों के निर्माण से संबधित **मूल डी0पी0आर0 का अवलोकन अवश्य** किया जाय ताकि यदि उक्त निर्माण का समय निर्धारित सेवा शर्तों एवं समयावधि के अन्तर्गत है तो उक्त मरम्मत संबंधी कार्य संबंधित कार्यदायी संस्था से निशुल्क पूर्ण कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित निर्माण कार्य किस वर्ष में पूर्ण हुआ था तथा उक्त निर्माण कार्य की आयु कितनी निर्धारित थी खराब गुणवत्ता के निर्माण कार्यों को जिला योजना के अन्तर्गत मरम्मत की धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत न की जाये। विभागीय मद से हो उक्त कार्य कराया जाये तथा खराब निर्माण कार्यों हेतु जिम्मेदार कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(25) **जिला योजना के अन्तर्गत छोटी योजनाओं को प्राथमिकता** प्रदान की जाय, तथा बड़ी एवं बहु ग्राम **(Multi Village Schemes)** योजनाओं को राज्य सेक्टर अथवा केन्द्र पोषित योजनाओं में प्रस्तावित किया जाय।

(26) जिला सेक्टर के अन्तर्गत चयनित योजनाओं में बजट प्राविधान हेतु राज्य सेक्टर एव केन्द्र पोषित योजनाओं यथा मनरेगा, जलागम, स्वजल जैसी योजनाओं के साथ **युगपतिकरण (Convergence) किया जाय।**

(27) **सौन्दर्यीकरण/साज–सज्जा** जैसे प्रस्तावों को जिला योजना में कतई स्वीकार न किया जाये व इन कार्यों को अनिवार्य रूप से विभागीय मदों से ही कराया जाय।

(28) जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर को छोडते हुए शेष 13 जनपदों में से 06 विकासखण्डों यथा–स्यालदे(अल्मोडा), कपकोट (बागेश्वर), गदरपुर (उधमसिंहनगर), दुगडा (पौड़ी), मौरी (उत्तरकाशी), बाहदराबाद (हरिद्वार) को नीति आयोग के **"आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम"** के तौर पर अभिचिन्हित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 09 जनपदों के 09 विकासखण्डों (चम्पावत धौलादेवी, ओखलकाण्डा, जाख़णीधार, बीरोंखाल अगस्तमुनि, जोशीमठ, कालसी, तथा धारचूला) को नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तर से आंकाक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम के लिये चयनित किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक जनपद में कम से कम एक विकासखण्ड आकांक्षी विकासखण्ड विद्यमान है। अतः जिला योजना संरचना में कार्यक्रमों के चयन, कियान्वयन एवं अनुश्रवण में इन आकांक्षी विकासखण्डों पर विशेष ध्यान दिया जाय, ताकि ये आकांक्षी विकासखण्ड अन्य समुन्नत विकासखण्डों के समकक्ष आ सके।

(29) Untied Fund का उपयोग यथावश्यकता जिला सेक्टर में महत्त्वपूर्ण कार्यों के Gap को Fill करने हेतु भी किया जाय।

(30) जनपद में जिला सेक्टर परिव्यय से इतर प्राप्त/उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी जिला सेक्टर विकास योजना हेतु किया जाय।

(31) जिला योजनाओं में आंकाक्षी जनपदों को भारत सरकार से प्राप्त Incentive धनराशि के प्रस्तावों को भी सम्मिलित किया जाय जिससे सम्बन्धित सेक्टर में अन्य स्रोत से धनराशि की उपलब्धता में Duplicacy न होने पाय।

****

35

परिशिष्ट–I

वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला योजना हेतु प्राविधानित धनराशि का जनपदवार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क.	जनपद का नाम	सामान्य	एस.सी.एस.पी	टी.एस.पी.	कुल प्राविधानित धनराशि
0	1	2	3	4	5
1	नैनीताल	5592.10	1347.30	81.10	7020.50
2	ऊधमसिंहनगर	5579.00	1027.50	813.60	7420.10
3	अल्मोडा	5715.70	1737.30	22.70	7475.70
4	पिथौरागढ	5040.50	1712.40	425.70	7178.60
5	बागेश्वर	4312.00	1583.90	67.00	5962.90
6	चम्पावत	4770.80	1021.00	44.30	5836.10
7	देहरादून	7700.80	1285.70	961.60	9948.10
8	पौडी गढवाल	9895.70	2047.30	56.20	11999.20
9	टिहरी गढवाल	7997.30	1506.10	19.50	9522.90
10	चमोली	5645.30	1441.30	341.40	7428.00
11	उत्तरकाशी	5746.80	1790.20	120.00	7657.00
12	रूद्रप्रयाग	4706.40	1096.60	14.10	5817.10
13	हरिद्वार	5297.60	1404.50	33.50	6735.60
	योग	78000.00	19001.10	3000.70	100001.80

(एक हजार करोड़ एक लाख अस्सी हजार मात्र)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(I)

भाग–3

मैनुअल संख्या–6 से 17

अर्थ एवं संख्या विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

जनपद का नाम :– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा

अधिकारी /कर्मचारियों के माह मार्च , 2025 वेतन परिलब्धियों का विवरण

क्रं0 सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 / सी0पी0एस0एन0नं0	वेतन	लेवल	विशेष वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता /बॉर्डर भत्ता	स्कूटर भत्ता /वाहन भत्ता	धुलाई भत्ता	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सुश्री रेनु	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	110136730742	61300	10	0	32489	सरकारी आवास का उपयोग	540	0	0	94329
2	कुन्दन लाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	CPU/57021	80000	10	460	42400	5650	540	3000	0	132050
3	कोमल साह	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAU/84667	58600	7	0	31058	4500	460	3000	0	97618
14	श्री खीमपाल सिंह	प्रधान सहायक	GAU/83155	49000	6	0	25970	3550	420	0	0	78940
15	कुल्सुम परवीन	वरिष्ठ सहायक	110073748154	32900	5	0	17437	2950	280	0	0	53567
16	श्री रमेश चन्द्र	जीप चालक	110193888155	26800	3	0	14204	सरकारी आवास का उपयोग	200	0	0	41204
17	श्री हर सिंह	अनुसेवक	NTL/2944/00004	42800	4	0	22684	2950	280	0	90	68804
योग				**351400**		**460**	**186242**	**19600**	**2720**	**6000**	**90**	**566512**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2025 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद/केन्द्र का नामः– बागेश्वर। मण्डल का नामः– कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी

क0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0/ सी0पी0एस0एन0 न0	वेतन मैट्रिक्स	लेवल	मूल वेतन ₹	सी0पी0ए 0 ₹	विशेष वेतन ₹	महंगाई भत्ता ₹	मकान किराया भत्ता ₹	पर्वतीय विकास भत्ता ₹	वाहन भत्ता ₹	कम्प्यूटर /अन्य भत्ता ₹	कुल परिलब्धियां रू0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री दिनेश सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी	111104942832	56100-177500	10	61300	0	0	32489	5650	540	0	0	99979
2	श्री भूपेन्द्र सिंह राणा	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	AGU-57615	44900-142400	7	60400	0	0	32012	4500	460	3000	0	100372
3	श्री भारतमणि कनौजिया	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110051340105	44900-142400	7	56900	0	0	30157	4500	460	3000	0	95017
4	श्री राजन सिंह गैड़ा	प्रधान सहायक	G.A.U.A-83819	35400-112400	6	43600	0	190	23108	3550	420	0	0	70868
6	श्री सतविन्दर सिंह	कनिष्ठ सहायक	110290038626	21700-69100	3	22400	0	0	11872	2200	200	0	0	36672
	योगः–					**244600**	**0**	**190**	**129638**	**20400**	**2080**	**6000**	**0**	**402908**

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2025 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद का नाम :– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ कर्मचारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पदनाम	जी0पी0ए0फ0न0/ सी0 पी0एस0एन0न0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूल वेतन ₹	सी0पी0ए0 ₹	विशेष वेतन ₹	महंगाई भत्ता ₹	मकान किराया भत्ता ₹	पर्वतीय विकास भत्ता ₹	वाहन भत्ता ₹	कम्प्यूटर/ अन्य भत्ता ₹	कुल परिलब्धियां रू0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री दीप्तकीर्ति तिवारी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	111106730744	56100-177500	11	61300	0	0	32489	0	1300	0	0	**95089**
2	श्री राजीव कुमार जायसवाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110050978683	67700-208700	7	58600	0	0	31058	0	1000	3000	0	**93658**
3	श्री लेखराज सागर	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	AGU/59308	67700-208701	7	60400	0	0	32012	4500	1000	3000	0	**100912**
4	श्रीमती राजेश्वरी गर्ब्याल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110070978004	67700-208702	7	56900	0	0	30157	4500	1000	3000	0	**95557**
5	श्री दिनेश सिंह पांगती	प्रधान सहायक	GAU/83080	44900-142400	6	49000	0	280	25970	3550	1000	0	0	**79800**
6	श्री मुनेश्वर सिंह नयाल	वरिष्ठ सहायक	110030961979	29200-92300	5	35900	0	0	19027	0	1000	0	0	**55927**
7	श्री दीपक कुमार	कनिष्ठ सहायक	110149974056	21700-69100	3	22400	0	0	11872	2200	1000	0	0	**37472**
योग–						**344500**	**0**	**280**	**182585**	**14750**	**7300**	**9000**	**0**	**558415**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2025 का वेतन

जनपद/केन्द्र का नाम :– कार्यालय जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी, नैनीताल

मण्डल का नाम :– कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी

क्र0 सं0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 न0/ सी0पी0आई0 न0	वेतन मैट्रिक्स	लेबल	मूल वेतन ₹	सी0पी0ए0 ₹	विशेष वेतन ₹	महंगाई भत्ता ₹	मकान किराया भत्ता ₹	पर्वतीय विकास भत्ता ₹	वाहन भत्ता ₹	कम्प्यूटर/ अन्य भत्ता ₹	कुल परिलब्धियों का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	डॉ. मुकेश सिंह नेगी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110152807003	56100-177500	10	61300	0	0	32489	0	540	0	0	**94329**
2	श्री कमल सिंह मेहरा	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAUA/84653	44900-142400	7	60400	0	0	32012	5400	460	3000	0	**101272**
3	श्री हरि शंकर	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110060979209	44900-142400	7	60400	0	0	32012	5400	460	0	0	**98272**
4	श्री सुरेश लाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110030985506	44900-142400	7	60400	0	0	32012	5400	460	3000	0	**101272**
5	श्रीमती शालिनी दीपक कुमार	प्रधान सहायक	GAU/82719	35400-112400	7	50500	0	0	26765	5400	460	0	0	**83125**
6	श्री दीपक चन्द्र मैनाली	वरिष्ठ सहायक	110051683108	29200-92300	5	35900	0	0	19027	0	280	0	0	**55207**
7	श्री महफूज आलम	वाहन चालक	110271239986	21700-69100	3	21700	0	0	11501	2650	200			**36051**
योग						**350600**	**0**	**0**	**185818**	**24250**	**2860**	**6000**	**0**	**569528**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005–31 मार्च, 2025 की परिलब्धियां

जनपद/केन्द्र का नाम– ऊधमसिंह नगर।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी०पी०एफ०नं०/ सी०पी०एस०एन० नं०	वेतन मैट्रिक्स	लेवल	मूल वेतन	सी०पी०ए०/ एन०पी०एस०	विशेष वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय/ सीमान्त भत्ता	स्कूटर भत्ता	धुलाई भत्ता	कम्प्यूटर भत्ता
1	श्री नफील जमील	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/53583	67700-208700	11	91100	0	0	48283	0	540	0	0	0
2	श्री संजय सिह,	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	GAUA/83709	47600-151100	8	56900	0	0	30157	3850	480	0	0	0
3	श्रीमती तारा पाण्डेय	अपर सा०अधिकारी	CPU/56096	56100-177500	10	80000	0	0	42400	5650	540	4000	0	0
4	श्रीमती प्रीति चोपड़ा	अपर सा०अधिकारी	111001296384	44900-142400	7	60400	0	0	32012	4500	460	3000	0	0
5	श्री रोशन लाल	अपर सा०अधिकारी	110081085686	44900-142400	7	60400	0	0	32012	4500	460	3000	0	0
6	श्री कमलेश कुमार	अपर सा०अधिकारी	110031223514	44900-142400	7	60400	12306	0	32012	4500	460	3000	0	0
7	श्री सुशील कुमार	कार्टोग्राफिक असिसटेन्ट	GAU/82158	67700-208700	11	88400	0	420	46852	6800	540	0	0	0
8	कु0 भावना राणा	कनिष्ठ सहायक	110128610890	21700-69100	3	23100	3534	0	12243	2200	200	0	0	0
9	श्री शिव बचन	वाहन चालक	110162966384	21700-69100	3	26800	4100	0	14204	0	200	0	0	0
10	श्री भुवन चन्द्र उप्रेती	अनुसेवक	PTH/2944/00004	29200-69100	5	40400	0	180	21412	2950	280	0	90	0
योग–						**587900**	**19940**	**600**	**311587**	**34950**	**4160**	**13000**	**90**	**0**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2025 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद का नाम– कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।

मण्डल का नाम– कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी अधिकारियों/कर्मचारियों के माह मार्च, 2024 का वेतन

क्र0 सं0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0न0/ सी0पी0आई0 न0	वेतन मैट्रिक्स	लेवल	मूल वेतन	विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	स्कूटर भत्ता	कम्प्यूटर/अन्य भत्ता	कुल परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16
1	श्री निरंजन प्रसाद	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110183642053	56100-177500	10	61300	--	32489	5650	540	--	--	**99979**
2	श्री गणेश चन्द्र	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAU-80780	56100-177500	11	91100	--	48283	--	540	1200	--	**141123**
3	श्री भुवन चन्द्र आर्य	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAU-69436	44900-142400	07	70000	--	37100	4500	460	--	--	**112060**
4	श्रीमती पार्वती ग्वाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	111001084794	44900-142400	07	60400	460	32012	4500	460	1200	--	**99032**
5	श्री चन्द्रेश कुमार पाण्डेय	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110021802804	44900-142400	07	56900	--	30157	4500	460	1200	--	**93217**
6	श्री प्रभाकर सिंह रौंकली	प्रधान सहायक	GAUA-83575	44900-142400	07	50500	--	26765	--	460	--	--	**77725**
7	श्रीमती निर्मला जोशी	वरिष्ठ सहायक	110044205004	29200-92300	05	32900	--	17437	--	280	--	--	**50617**
8	श्रीमती चित्रा रावत	कनिष्ठ सहायक	110174262228	21700-69100	03	26000	--	13780	--	200	--	--	**39980**
9	श्री मनोज मलिक	वाहन चालक	1.10174E+11	21700-69100	03	21700	--	11501	2200	200	--	--	**35601**
10	श्री मगन सिंह ग्वाल	अनुसेवक	PTH/2944/00003	25500-81100	04	38600	130	19300	2550	240	--	90	**60910**
योग						**509400**	**590**	**268824**	**23900**	**3840**	**3600**	**90**	**810244**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2025 की परिलब्धियाँ रूपये में

केन्द्र का नाम :– कार्यालय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।

मण्डल का नाम :– कुमाऊँ मण्डल

क्र0 सं0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 न0/ सी0पी0आई0 न0	वेतन मैट्रिक्स	लेवल	मूल वेतन	CPA	विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	वाहन भत्ता	कुल परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री राजेन्द्र तिवारी	संयुक्त निदेशक	CPU/48000	78800-209200	12	102800	--	540	54484	7900	540	--	166264
2	श्री एस0एस0नेगी	मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/82442	67700-208700	11	91100	--	--	48283	6800	540	--	146723
3	श्रीमती हेमा प्रवीण बिष्ट	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	GAU-80846	47600-151100	08	56900	--	--	30157	4800	480	--	92337
4	श्री स्वदेश मनराल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110081086630	44900-142400	07	58600	--	--	31058	4500	460	3000	97618
5	श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110070978004	44900-142400	07	60400	--	--	32012	4500	460	3000	100372
6	श्री हरीश चन्द्र भट्ट	कार्टोग्राफिक सहायक	GAU/81283	67700-208700	11	88400	--	--	46852	6800	540	--	142592
	श्री भूपेन्द्र सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	1100260855119	29200-92300	2	22400		--	11872	2200	200		36672
7	श्रीमती भगवती देवी	अनुसेवक	NTL/2944/00007	29200-92300	05	41600	90	--	22048	2950	280	--	66968
8	श्री कैलाश चन्द्र	अनुसेवक	NTL/2944/00008	29200-92300	05	6640	90	--	1270	1300	230	--	9530
योग–						**528840**	**180**	**540**	**278036**	**41750**	**3730**	**6000**	**859076**

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च 2025 की परिलब्धियां रू0 में

कार्यालय–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी

मण्डलः– पौड़ी

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ कर्मचारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पदनाम	जी0पी0ए0फ0न0 /सी0 पी0एस0एन0न0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूलवेतन रू0	सी0पी0 ए0 रू0	विशेष वेतन रू0	मंहगाई भत्ता रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय विकास भत्ता रू0	स्कूटर भत्ता रू0	कम्प्यूटर / अन्य भत्ता रू0	एरियर	कुल परिलब्धियां रू0
1	चेतना अरोरा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110186730745	56100-177500	10	61300	0	0	32489	0	1300	0	0	12116	**107205**
2	श्रीमती किरन शर्मा	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAUA/84668	44900-142400	7	56900	0	0	30157	4500	1000	3000	0	0	**95557**
3	नरेन्द्र सिंह	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110000979960	44900-142400	7	56900	0	0	30157	4500	1000	3000	0	1124	**96681**
4	अनूप कुनियाल	कनिष्ठ सहायक	110280855121	21700-69100	3	22400	0	0	11872	2200	1000	0	0	2604	**40076**
5	अनुराग सिंह	वाहन चालक	110271941483	21700-69100	3	21700	0	0	11501	2200	1000	0	0	1848	**38249**
6	बीना नौटियाल	अनुसेविका	110042262063	19900-63200	2	28400	0	0	15052	2100	1000	0	90	5520	**52162**
योग–						**247600**	**0**	**0**	**131228**	**15500**	**6300**	**6000**	**90**	**23212**	**429930**

प्रारूप– क

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2025 की परिलब्धियां रू0 में

कार्यालय:अर्थ एवं संख्याधिकारी, चमोली।									मण्डल का नाम:– गढ़वाल मण्डल				
क्र0 सं0	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0 /सी0पी0एस0एन0 न0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूल वेतन रू0	सी0पी0 एफ0 रू0	विशेष वेतन रू0	मंहगाई भत्ता रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय विकास भत्ता रू0	स्कूटर भत्ता रू0	कम्प्यूटर/ अन्य भत्ता रू0	कुल परिलब्धियां का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	श्री विनय जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110103464117	56100-177500	10	61300	0	0	32489	0	540	0	0	**94329**
3	श्री भूपाल सिंह चौहान	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	GAUA/84522	56100-177500	10	80000	0	0	42400	5650	540	4000	0	**132590**
5	श्री अमित ध्यानी	प्रधान सहायक	110020967208	35400-112400	6	39900	0	0	21147	4250	420	0	1000	**66717**
6	श्री संचित तिवारी	वरिष्ठ सहायक	110131473921	29200-92300	5	30100	0	0	15954	2950	280	0	0	**49284**
6	श्री आशीष नेगी	कनिष्ठ सहायक	110114052667	21700-69100	3	25200	0	0	13356	2200	200	0	0	**40956**
7	श्री विपिन कुमार	वाहन चालक	110251235812	21700-69100	3	21700	0	0	11501	0	200	0	0	**33401**
7	श्री तरूण सिंह	अनूसेवक	110037718518	18000-56900	1	24200	0	0	12826	2100	180	0	0	**39306**
योग						**282400**	**0**	**0**	**149673**	**17150**	**2360**	**4000**	**1000**	**456583**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च 2025 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद/केन्द्र का नामः– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून

मण्डल का नामः– गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

क0 सं0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 नं0/ सी0पी0एस0एन0नं0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूल वेतन रू0	सी0 पी0 ए0 रू0	विशेष वेतन रू0	मंहगाई भत्ता रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय विकास भत्ता रू0	स्कूटर भत्ता रू0	कम्प्यूटर / अन्य भत्ता रू0	कुल परिलब्धियां रू0
1	श्री शशि कान्त गिरि	जि0अ0एवंसं0अ0	जी0ए0यू0/81868	67700–208700	11	91100	0	0	48283	8150	540	0	460	148533
2	श्री प्रताप सिंह भण्डारी	अ0सां0अ0	सी0पी0यू0/56204	56100–177500	10	77700	0	0	41181	6750	540	3000	460	129631
3	श्री धीरज गप्ता	अ0सां0अ0	110080978687	44900–142400	7	60400	0	0	32012	5400	460	3000	0	101272
4	श्री राजीव शर्मा	अ0सां0अ0	110022683436	44900–142400	7	60400	0	0	32012	5400	460	3000	0	101272
5	श्री बृजपालसिंह	अ0सां0अ0	110080979208	44900–142400	7	60400	0	0	32012	5400	460	3000	0	101272
6	श्री नवीन कुमार	अ0सां0अ0	111001271761	44900–142400	7	56900	0	0	30157	5400	460	3000	0	95917
7	श्री अब्बल सिंह नेगी	प्रधान सहायक	जी0ए0यू0ए0/84036	35400–112400	6	42300	0	0	22419	4250	420	0	200	69589
8	श्री बहादुरसिंह चौहान	वरिष्ठ सहायक	जी0ए0यू0ए0/83880	35400–112400	6	47800	0	0	25228	4250	420	0	0	77698
9	कु0 अल्का	कनिष्ठ सहायक	110197345915	21700–69100	3	22400	0	0	11872	2650	200	0	0	37122
10	श्री चन्द्रपाल सिंह नेगी	वाहन चालक	110142629621	21700–69100	3	26800	0	0	14204	0	200	0	90	41294
	योग					**546200**	**0**	**0**	**289380**	**47650**	**4160**	**15000**	**1210**	**903600**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2025 की परिलब्धियॉं

जनपद–हरिद्वार

मण्डल का नाम–संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या गढ़वाल मण्डल पौड़ी

क्र.स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0/ सी0पी0एस0एन0 नं0	वेतन मैट्रिक्स `	लेवल	मूल वेतन `	सी0 पी0 ए0 `	विशेष वेतन/ फेमिली प्लानिंग भत्ता `	मंहगाई भत्ता `	मकान किराया भत्ता `	पर्वतीय विकास भत्ता `	स्कूटर भत्ता/ ट्रांसपोर्ट भत्ता `	कम्प्यूटर/ अन्य भत्ता `	कुल परिलब्धियॉं `
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रीमती नलिनी ध्यानी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU-82052	67700-208700	11	91100	0	0	48283	6800	540	0	0	146723
2	श्री राकेश चन्द्र बाजपेयी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	GAU-80943	47600-151100	8	55200		280	29256	4800	480	0	0	90016
3	श्री सुभाष सिंह शाक्य	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	CPU-54136	56100-177500	10	80000	0	0	42400	0	540	4000	0	126940
5	श्री नवीन कुमार	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAU-84650	44900-142400	7	60400	0	0	32012	4500	460	3000	0	100372
6	श्री अरविन्द यादव	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAU-84649	44900-142400	7	60400	0	0	32012	4500	460	3000	0	100372
	श्री राजेन्द्र कुमार	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAU-81647	44900-142400	7	60400	0	0	32012	4500	460	3000	0	100372
8	श्री नदीम अहमद	कार्टोग्राफिक असिस्टेंट	GAU-81647	67700-208700	11	88400	0	0	46852	0	540	0	0	135792
9	श्रीमती प्रीति भटनागर	वरिष्ठ सहायक	110082609896	29200-92300	5	37000	0	0	19610	0	280	0	0	56890
11	श्री विपिन शर्मा	वाहन चालक	110153231231	21700-69100	3	26800	0	0	14204	0	200	0	90	41294
12	श्री रविप्रकाश उपाध्याय	अनुसेवक	110024339531	18000-56900	1	22100	0	0	11713	0	180	0	90	34083
योग–						**581800**	**0**	**280**	**308354**	**25100**	**4140**	**13000**	**180**	**932854**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, माह मार्च 2025 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद /केन्द्र का नाम–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौडी गढवाल। मण्डल का नाम– संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या गढ़वाल मण्डल पौड़ी

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 नं0/ सी0पी0एस0एन0 नं0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूल वेतन रू0	सी0पी0 ए0रू0	विशेष वेतन रू0	मंहगाई भत्ता रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय किराया भत्ता रू0	स्कूटर/ अन्य भत्ता रू0	कम्प्यूटर/अन्य भत्ता रू0	कुल परिलब्धियां रू0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री रामसलोने	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAUA/84662	56100-177500	10	61300	15000	0	32489	0	540	0	0	94329
2	श्री रणजीत सिंह रावत	अ0 सां0 अधिकारी	GAUA/84681	44900-142400	07	60400	15000	0	32012	0	460	3000	0	95872
3	श्री उदित वर्मा	अ0 सां0 अधिकारी	GAUA/84663	44900-142400	07	60400	10000	0	32012	5400	460	3000	0	101272
4	श्रीमती शालिनी राठौर	अ0 सां0 अधिकारी	GAUA/84644	44900-142400	07	58600	10000	0	31058	5400	460	0	0	95518
5	श्री मंगल मोहन	प्रधान सहायक	GAUA/84017	35400-112400	06	44900	25000	130	23797	4250	420	0	0	73497
6	श्री दिगम्बर सिंह	वरिष्ट सहायक	GAUA/84682	35400-112400	03	38100	7000	0	20193	0	280	0	0	58573
7	अखिलेश डंगवाल	कनिष्ठ सहायक	110270014280	21700-69100	03	22400	3427	0	11872	2650	200	0	0	37122
8	श्री जयदीप खण्डूरी	वाहन चालक	110142804885	21700-69100	03	26800	4100	0	14204	2650	200	0	0	43854
योगः–						372900	89527	130	197637	20350	3020	6000	0	600037

जनपद का नाम – कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, टिहरी गढवाल।

मण्डल का नाम– गढवाल मण्डल, पौडी।

अधिकारियों / कर्मचारियों के माह मार्च 2025 का वेतन

क्र0 स0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 न0 / सी0पी0आई0 न0	वेतन मैट्रिक	लेवल	मूल वेतन	सी0पी0 एफ0	विशेष वेतन	मंहगाई भत्त	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	स्कूटर भत्ता	कम्प्यूटर / अन्य भत्ता	कुल परिलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रीमती साक्षी शर्मा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110156730741	56100-177500	10	61300	0	0	32489	0	540	0	0	**94329**
2	श्री धारा सिंह	अपर सॉख्यिकी अधिकारी	111000978333	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	460	3000	0	**95872**
3	श्री सुरेश चन्द	अपर सॉख्यिकी अधिकारी	111000979966	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	460	3000	0	**95872**
4	श्री संदीप कुमार	अपर सॉख्यिकी अधिकारी	110061572713	44900-142400	7	56900	0	460	30157	4500	460	3000	0	**95477**
5	श्री भवानी दत्त	प्रधान सहायक	GAU/84048	35400-112400	6	44900	0	0	23797	3550	420	0	0	**72667**
6	श्री नरेन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक	110073608962	29200-92300	5	32900	0	0	17437	2950	280	0	0	**53567**
7	श्री कुलदीप सिंह	कनिष्ठ सहायक	110222347658	21700-69100	3	21700	0	0	11501	2200	200	0	0	**35601**
8	श्री ताहिर अहमद	वाहन चालक	110135319170	21700-69100	3	26000	0	0	13780	2200	200	0	90	**42270**
योग						**364500**	**0**	**460**	**193185**	**15400**	**3020**	**9000**	**90**	**585655**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह–मार्च, 2025 की परिलब्धियां ₹ में

जनपद/केन्द्र का नाम :– रूद्रप्रयाग

मण्डल का नामः– गढ़वाल मण्डल

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0न0/सी0पी0एस0एन0न0	वेतन मैट्रिक्स ₹	लेवल	मूल वेतन ₹	सी0पी0ए0 ₹	विशेष वेतन ₹	मंहगाई भत्ता ₹	मकान किराया ₹	पर्वतीय विकास भत्ता ₹	वाहन भत्ता ₹	कम्प्यूटर/अन्य भत्ता ₹	कुल परिलब्धियां ₹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री संदीप भट्ट	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	110090973139	56100-177500	10	61300	0	0	32489	0	540	0	0	94329
2	श्री सतेन्द्र कुमार सैनी	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	CPU/57320	56100-177500	10	80000	0	460	42400	5650	540	4000	0	133050
3	श्री सन्तोष कुमार	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAUA/84692	44900-142400	7	56900	0	0	30157	4500	460	3000	0	95017
4	श्री दीपक कटारिया	प्रधान सहायक	110012635878	35400-112400	6	36500	0	0	19345	3550	420	0	0	59815
5	कु0 ऋतु	वरिष्ठ सहायक	110014111814	29200-92300	5	32900	0	0	17437	2950	280	0	0	53567
6	श्री प्रदीप मरतोलिया	कनिष्ठ सहायक	110126315669	21700-69100	3	24500	0	0	12985	2200	200	0	0	39885
योगः–						**292100**	**0**	**460**	**154813**	**18850**	**2440**	**7000**	**0**	**475663**

प्रारूप– क

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2025 की परिलब्धियां रू0 में

कार्यालयः संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।										मण्डल का नामः– गढ़वाल मण्डल				
क्र0 सं0	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0 /सी0पी0एस0एन0 न0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूल वेतन रू0	सी0पी0 एफ0 रू0	विशेष वेतन रू0	मंहगाई भत्ता रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय विकास भत्ता रू0	स्कूटर भत्ता रू0	कम्प्यूटर/ अन्य भत्ता रू0	कुल परिलब्धियां का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रीमती गीतांजलि शर्मा गोयल	संयुक्त निदेशक	GAUA/84700	78800-209200	12	102800	0	0	54484	0	540	0	0	157824
2	श्रीमती शिल्पा भाटिया	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110116730743	56100-177500	10	61300	0	0	32489	0	540	0	0	94329
3	श्री अरविन्द कुमार मिश्र	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	GAUA/84683	44900-142400	7	56900	0	0	30157	0	460	3000	0	90517
4	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	GAUA/80923	44900-142400	7	52000	0	0	27560	5400	460	0	0	85420
5	श्री शैलेन्द्र सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	110083995701	29200-92300	5	32900	0	0	17437	3550	280	0	0	54167
6	श्रीमती कविता	कनिष्ठ सहायक	110162185199	21700-69100	3	22400	0	0	11872	2650	200	0	0	37122
7	श्री रोशन लाल	वाहन चालक	110221270344	21700-69100	3	21700	0	0	11501	2650	200	0	0	36051
योग						**350000**	**0**	**0**	**185500**	**14250**	**2680**	**3000**	**0**	**555430**

सूचना अधिकार अधिनियम–2005, माह मार्च 2025 की परिलब्धियाँ ₹ में

जनपद/केन्द्र का नाम–बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड

क्रं० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी०पी०एफ० नं०/ सी०पी०एस०ए न०नं०	वेतन मैट्रिक्स	लेबल	मूल वेतन	सी०पी० ए०	विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	मकान किराया	पर्वतीय भत्ता	कम्प्यूटर/अन्य भत्ता	धुलाई भत्ता	वाहन भत्ता	कुल परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्री तिलोक सिंह अन्ना	संयुक्त निदेशक	111000967204	78800-209200	12	102800	0	0	54484	9500	540	0	0	0	167324
2	श्री महेश चन्द्र कपिल	शोध अधिकारी	GAU/81670	56100-177500	10	80000	0	540	42400	0	540	1000	0	0	124480
3	श्री सुरेश कुमार गोयल	शोध अधिकारी	CPU/55297	67700-208700	11	91100	0	0	48283	8150	540	0	0	0	148073
4	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	वरि० प्रशा० अधिकारी	GAUA/84523	47600-151100	8	53600	0	420	28408	5750	480	0	0	0	88658
5	श्रीमति प्रियंका राजे	वरिष्ठ सहायक	110094706561	29200-92300	5	32900	0	0	17437	3550	280	0	0	0	54167
6	श्री राकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	110126363656	21700-69100	3	24500	0	0	12985	2650	200	0	0	0	40335
7	श्रीमति विनीता पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	110212197544	21700-69100	3	21700	0	0	11501	2650	200	0	0	0	36051
8	श्री हुकम सिंह	वाहन चालक	110152835741	21700-69100	3	26800	0	0	14204	2650	200	0	90	0	43944
योग						**433400**	**0**	**960**	**229702**	**34900**	**2980**	**1000**	**90**	**0**	**703032**

प्रारूप–क

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2025 की परिलब्धियॉ (₹ में)

जनपद/केन्द्र का नामः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय।

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम सर्वश्री/सुश्रीः–	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0 /सी0पी0एस0ए न0 नं0	वेतन मैट्रिक्स	लेबल	मूल वेतन	सी0पी0ए0	Family Plan.	मंहगाई भत्ता	मंहगाई भत्ता एरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	स्कूटर भत्ता	कम्प्यूटर /अन्य भत्ता	कुल परिलब्धियॉ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सुशील कुमार	निदेशक	GAU/72649	131100-216600	13A	186900	0	870	99057	0	12000	540	0	0	299367
2	पंकज नैथानी	अपर निदेशक	GAU/74402	123100-215900	13	155900	0	760	82627	0	12000	540	0	0	251827
3	मनोज कुमार पंत	अपर निदेशक	GAU/73393	123100-215900	13	155900	0	760	82627	0	12000	540	0	0	251827
4	चित्रा	संयुक्त निदेशक	GAUA/84240	67700-208700	11	102800	0	0	54484	0	0	540	0	0	157824
5	दिनेश चन्द्र बडोनी	संयुक्त निदेशक	110000973382	67700-208700	11	102800	0	0	54484	0	9500	540	0	0	167324
6	मनीष राणा	उप निदेशक	111001225928	67700-208700	11	99500	0	0	52735	0	8150	540	0	0	160925
7	अमित पुनेठा	उप निदेशक	110080967205	67700-208700	11	99500	0	0	52735	0	0	540	0	0	152775
8	इला पन्त बिष्ट	उप निदेशक	110040967207	67700-208700	11	99500	0	0	52735	0	0	540	0	0	152775
9	रश्मि हलधर	उप निदेशक	110020973381	67700-208700	11	99500	0	540	52735	0	8150	540	0	0	161465
10	निर्मल कुमार शाह	उप निदेशक	CPU/57468	67700-208700	11	96600	0		51198	0	8150	540	0	0	156488
11	ललित चन्द्र आर्य	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110040973380	56100-177500	10	96600	0	0	51198	0	8150	540	0	0	156488
12	ज्योति जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/76225	67700-208700	11	91100	0	0	48283	0	0	540	0	0	139923
13	राजेश कुमार	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAUA/84560	67700-208700	11	88400	0	540	46852	0	8150	540	0	0	144482
14	ललित मोहन	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/48724	67700-208700	11	91100	0	540	48283	0	8150	540	0	0	148613
15	संजय शर्मा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/82686	56100-177500	10	91100	0	0	48283	0	8150	540	0	0	148073
16	गोपाल गुप्ता	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/58943	56100-177500	10	91100	0	0	48283	0	8150	540	0	0	148073
17	श्वेतांक प्रताप सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/82156	56100-177500	10	91100	0	0	48283	0	0	540	0	0	139923
18	अतुल आनन्द	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/83143	56100-177500	10	91100	0	460	48283	0	8150	540	0	0	148533
19	डॉ0 मोनिका श्रीवास्तव	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/81681	56100-177501	10	91100	0	0	48283	0	8150	540			148073
20	लखमी चन्द	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/57197	56100-177502	10	91100	0	540	48283	0	8150	540			148613
21	सी0एल0 ध्यानी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/68182	56100-177500	10	69000	0	280	36570	0	6750	540	0	1000	114140
22	बी0सी0 काण्डपाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/68109	56100-177500	10	69000	0	460	36570	0	6750	540	0	0	113320
23	भावना बिष्ट	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/75737	56100-177500	10	69000	0	460	36570	0	0	540	0	0	106570
24	जगदीश चन्द्र	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/79564	47600-151100	10	69000	0	460	36570	0	6750	540	0	0	113320
25	दीपक काण्डपाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	GAU/80165	47600-151100	8	56900	0	460	30157	0	5750	480	0	0	93747
26	अशोक कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	CPU/57582	56100-177500	10	80000	0	0	42400	0	6750	540	3000	0	132690
27	राजेन्द्र सिंह	अपर सांख्यिकी अधि0	CPU/58009	56100-177500	10	77700	0	0	41181	0	6750	540	3000	0	129171
28	शालू भटनागर	अपर सांख्यिकी अधि0	GAU/84701	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	101272

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम सर्वश्री/सुश्रीः–	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0 /सी0पी0एस0ए न0 नं0	वेतन मैट्रिक्स	लेबल	मूल वेतन	सी0पी0ए0	Family Plan.	मंहगाई भत्ता	मंहगाई भत्ता एरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	स्कूटर भत्ता	कम्प्यूटर /अन्य भत्ता	कुल परिलब्धियॉ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	रितु नेगी	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84703	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
30	मान सिहं कुँवर	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/80643	44900-142400	7	58600	0	0	31058	0	5400	460	3000	0	**98518**
31	जयपाल सिहं	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84647	44900-142400	7	53600	0	0	28408	0	5400	460	3000	0	**90868**
32	आलोक कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84639	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
33	योगेन्द्र सिंह रोथाण	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84635	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
34	रितेश शर्मा	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84637	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
35	संदीप पाण्डेय	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84638	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	0	460	3000	0	**95872**
36	सुन्दर सिंह	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84634	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
37	रितेश कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84642	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	0	460	3000	0	**95872**
38	सीमा धिवान	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/80640	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
39	सुरेश नौटियाल	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84704	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
40	वृजेश कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84645	44900-142400	7	56900	0	0	30157	0	5400	460	3000	0	**95917**
41	मनोज कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84641	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
42	धीरेन्द्र प्रताप सिहं	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84636	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
43	अरविन्द कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	GAUA/84702	44900-142400	7	60400	0	0	32012	0	5400	460	3000	0	**101272**
44	बिनीता	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/81148	35400-112400	6	52000	0	0	27560	0	5400	460	0	0	**85420**
45	आलोक मैठाणी	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/81149	35400-112400	6	52000	0	0	27560	0	5400	460	0	0	**85420**
46	बीर सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/80427	35400-112400	6	52000	0	420	27560	0	5400	460	0	0	**85840**
47	अतुल कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/81603	35400-112401	6	52000	0	0	27560	0	5400	460	0	0	**85420**
48	सुलोचना रतूड़ी	वैयक्तिक अधिकारी	110003797514	35400-112400	6	46200	0	0	24486	0	5400	460	0	0	**76546**
49	विकान्त कुमार	व्यैक्तिक सहायक	1100016104530	29200-92300	5	33900	0	0	17967	0	3550	280			**55697**
50	दीप्ति डडवाल	प्रधान सहायक	110040985075	29200-92300	5	41100	0	0	21783	0	4250	420	0	0	**67553**
51	राहुल कुमार रवि	वरिष्ठ सहायक	GAUA/84281	29200-92300	5	33900	0	0	17967	0	3550	280	0	0	**55697**
52	सुरेन्द्र पोखरियाल	वरिष्ठ सहायक	110020968388	29200-92300	5	32900	0	0	17437	0	3550	280	0	800	**54967**
53	रमन बमराड़ा	कनिष्ठ सहायक	110135319170	29200-92300	5	25200	0	0	13356	0	2650	200	0	0	**41406**
54	कपिल चौहान	कनिष्ठ सहायक	110143952917	29200-92300	5	25200	0	0	13356	0	2650	200	0	0	**41406**
55	भूपदेव प्रसाद	कनिष्ठ सहायक		29200-92300	5	22400	0	0	11872		2650	200		0	**37122**
योगः–						**4026400**	**0**	**7550**	**2133992**		**300100**	**26040**	**54000**	**1800**	**6549882**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(XVI)

लोक राज्य सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉं **(Names, designation and other paticulers of the Public information Officers)**

1–अर्थ एवं संख्या विभाग :–

(1) राज्य स्तर पर

(क) अपील प्राधिकारी	श्री सुशील कुमार , निदेशक अर्थ एवं संख्या निदेशालय, 37 ए, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष–0135–2754871
(ख) लोक राज्य सूचना अधिकारी	डॉ0 दिनेश चन्द्र बडोनी, संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, 37 ए, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष–0135–2655571
(ग) सहा0 लोक राज्य सूचना अधिकारी	श्रीमती भावना बिष्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 37 ए, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष–0135–2655571

(2)–मण्डल स्तर पर

(क) अपील प्राधिकारीः–

(1) श्रीमती गीतांजली शर्मा गोयल, संयुक्त निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी
दूरभाषः– 01368223820 गढ़वाल मण्डल से संबंधित जनपदों के लिए

(2) श्री राजेन्द्र तिवारी, संयुक्त निदेशक, कुमायूं मण्डल हल्द्वानी
दूरभाष :–05942222465 मण्डल से संबंधित जनपदों के लिए

(ख) लोक सूचना अधिकारीः–

(1) मण्डलीय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी
दूरभाषः– 01368223820 मण्डल से संबंधित के लिए

(2) मण्डलीय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, गढ़वाल मण्डल,
पौड़ी दूरभाषः–05942222465 मण्डल से संबंधित के लिए

(ग) सहायक लोक सूचना अधिकारीः–

(1) अपर सॉख्यिकी अधिकारी, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी
दूरभाषः– 01368223820 मण्डल से संबंधित के लिए

(2) अपर सॉख्यिकी अधिकारी, गढ़वाल मण्डल,
पौड़ी दूरभाषः–05942222465 मण्डल से संबंधित के लिए

(3)–जिला स्तर पर

(ख) लोक राज्य सूचना अधिकारीः–

(1) श्री शशिकान्त गिरी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून
दूरभाषः–01352652319

(2) श्रीमती नलिनी ध्यानी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार
दूरभाषः–01334239377

(3) श्रीमती साक्षी शर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी, टिहरी
दूरभाषः–01376232075

(4) श्री अतुल आनन्द, अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी
दूरभाषः–01374222292

(5) श्री राम सलोने, अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी
दूरभाषः–01368223185

(6) श्री संदीप भट्ट, अर्थ एवं संख्याधिकारी, रूद्रप्रयाग
दूरभाषः–01364233685

(7) श्री विनय जोशी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, चमोली
दूरभाषः–01372252229

(8) श्री नफील जमील, अर्थ एवं संख्याधिकारी, उधमसिंह नगर
दूरभाषः–05944241411

(9) श्री मुकेश सिंह नेगी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल
दूरभाषः–05942248414

(10) सुश्री रेनू भण्डारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा
दूरभाषः–05962230321

(11) श्री दिनेश सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर
दूरभाषः–05963220725

(12) श्री निरंजन प्रसाद, अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़
दूरभाषः–05964225443

(13) श्री दीप्तकीर्ति तिवारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत
दूरभाषः–05965230699

(4)–विकास खण्ड स्तर पर

(ग) सहायक लोक राज्य सूचना अधिकारी :–

प्रत्येक विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय), सहायक लोक राज्य सूचना अधिकारी नामित है।

बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभागः–

(क) अपील प्राधिकारी–

श्री सुशील कुमार, निदेशक
अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून।
दूरभाष–0135–2754871
फैक्स–0135–2712604

(ख) लोक राज्य सूचना अधिकारी–

श्री टी0सी0 अन्ना, संयुक्त निदेशक
बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
17/2 प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून
दूरभाष–0135–2669154
फैक्स 0135–2669785

(ग) सहायक लोक राज्य सूचना

श्री महेश चन्द्र कपिल, शोध अधिकारी
बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
17/2 प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून
दूरभाष–0135–2669154
फैक्स 0135–2669785